सूचना तकनीक
इंटरनेट
बाल शोषण

एक प्रवेशिका

शीर्षक	**सूचना तकनीक, इंटरनेट, बच्चों का शोषण**
लेखन	सचिन कुमार जैन और राजू कुमार
संपादन सहयोग	राकेश मालवीय
सहयोग	रेखा श्रीधर, अनिल गुलाटी, सुभेंदु भट्टाचार्य, संपत मांडवे, राकेश दीवान, अरविन्द मिश्रा, आरती पाराशर, चिन्मय मिश्र, अंजली आचार्य, वी.एन. त्रिपाठी, जया सिंह, मेहरून सिद्दिकी, जोयत्री राय, अदिती चंचानी, प्रो. संदीप जोशी
व्यवस्थागत सहयोग	रवि मालवीय, संतोष वैष्णव, गुंजन मेहंदीरत्ता, कमलेश नामदेव, मनोज गुप्ता
प्रकाशक	विकास संवाद
पता	ई–7/226, प्रथम तल, धनवंतरी कॉम्पलेक्स के सामने, अरेरा कॉलोनी, शाहपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश
ईमेल और वेब पता	vikassamvad@gmail.com www.mediaforrights.org / www.vssmp.org
वर्ष	2017
सर्वाधिकार	उन सबके लिए सुरक्षित, जो बदलाव के लिए इसका उपयोग करता चाहते हैं
डिजाइन	अमित सक्सेना
चित्रांकन	शिरीष श्रीवास्तव
मुद्रक	बी.के. ट्रेडर्स

सूचना तकनीक

इंटरनेट

बाल शोषण

एक प्रवेशिका

अध्याय क्रम

बच्चों के शोषण की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि 01

इंटरनेट का बढ़ता दायरा 03

इंटरनेट की उपयोगिता 05

इंटरनेट : घनी असुरक्षा के बीच बच्चे 09

बच्चों का इंटरनेट पर शोषण 12

कब सतर्क हो जाना चाहिए! 20

कब क्या करें? 23

इंटरनेट का बच्चों द्वारा उपयोग और पालकों की जिम्मेदारी 26

इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग का मतलब 33

असुरक्षा के घेरे में इंटरनेट - क्या करें, क्या न करें? 37

सूचना तकनीक (डिजिटल सेवाएं देने वाले) समूहों की जिम्मेदारी 49

साइबर अपराध और बच्चों के शोषण से संबंधित कुछ प्रमुख कानून 52

इंटरनेट की सामान्य शब्दावली 58

व्यावहारिक कार्य 59

परिचय

इस बात को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए कि नए समाज, जिसमें विलासिता, उपभोक्तावाद और हिंसक प्रतिस्पर्धा मुख्य चारित्रिक पहलू हैं। इसने हमें संचार की तकनीक तो दी, किन्तु आपसी संबंधों से दूर भी किया है।

उपकरण बढ़े हैं किन्तु अकेलापन उससे कहीं ज्यादा बढ़ा है। बच्चे अकेले हैं, माता-पिता अकेले हैं, जीवन में कुछ बनने-हासिल करने के लिए मशीनों का महत्व चरम पर है। सीखने का माध्यम संवाद नहीं, तकनीक है। यह तकनीक शोषण का भी जरिया बन गयी है।

अब चूंकि बच्चे परिवार में अकेले हैं और परिवार समाज में अकेला है, इसलिए भीतर ही भीतर सूचना तकनीकें बच्चों पर गहरा असर डालती गयीं और शायद हमें पता भी नहीं चला। समाज को सहूलियत होने लगी है कि चलो बच्चे मोबाइल-कम्प्यूटर-इंटरनेट में व्यस्त हैं। हमें ज्यादा समय नहीं देना होगा।

परिवार में यह नहीं सोचा कि आखिर उन्हें यानी बच्चों को क्या सामग्री और सन्देश मिल रहे हैं ? आज औसतन 8 साल की उम्र से बच्चे इंटरनेट के संपर्क में आ रहे हैं। वे दिन में 3 घंटे से ज्यादा नयी तकनीकों से साथ गुजार रहे हैं। अध्ययन बता रहे हैं कि 10 में से 7 बच्चे किसी न किसी रूप में ऑनलाइन शोषण, उत्पीड़न और हिंसा के शिकार होते हैं। इनमें से ज्यादातर किसी को बता भी नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है।

हमारी सामाजिक न्याय, कानून-व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह यह भी नहीं समझ पायी है कि इस तथाकथित क्रान्ति की तेज लहरों के बीच खुद को डूबने से कैसे बचाया जाए ? यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है क्योंकि एक तरफ तो समाज और परिवार, बच्चों से दूर हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमें यह भी अंदाजा नहीं है कि कौन सी व्यवस्था इंटरनेट के जरिये होने वाले बच्चों के शोषण को रोक पाएगी ?

इस सन्दर्भ में बच्चों, परिवार, स्कूल, कानूनी व्यवस्था, इंटरनेट सेवा प्रदाता-व्यावसायिक इकाइयों, सामाजिक संस्थाओं और नीति बनाने वाले मंचों के स्तर पर साझा पहल करने की जरूरत है।

पूरे विश्व में अपराधों, खासतौर पर लैंगिक और बाल अपराधों में तेजी से वृद्धि हो रही है। इस

वृद्धि में सूचना तकनीक का गैर-जिम्मेदाराना इस्तेमाल बड़ी भूमिका निभा रहा है। जब हम इंटरनेट मंचों पर या इंटरनेट मंचों के जरिये बाल शोषण का मुद्दा सामने ला रहे हैं, तब इसे केवल बच्चों से संबंधित विषय नहीं माना जाना चाहिए। यह एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक विषय है।

कानूनी पहल

सूचना तकनीक, खास तौर पर इंटरनेट के मंच के जरिये होने वाले बाल शोषण को रोकने के लिए मौजूद वैधानिक व्यवस्थाओं को इन कानूनों के सन्दर्भ में देखा और समझा जाता है-

- सूचना तकनीक कानून, 2008
- केबल टी.वी. नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995
- लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012
- किशोर न्याय अधिनियम, 2015
- केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995

इस पुस्तिका का मकसद ऑनलाइन-इंटरनेट मंचों पर होने वाले बाल शोषण और उत्पीड़न के स्वरूप को समझना और कुछ जरूरी कदम उठाने की वकालत करना है। यह एक संवेदनशील विषय है और इसको महज कानूनी प्रक्रिया का मामला मानकर छोड़ देना बहुत बड़ी गलती है।

जरूरी है कि हम अपने बच्चों, अपने परिवार, स्कूलों और सामाजिक मंचों पर बच्चों के ऑनलाइन-इंटरनेट मंचों पर होने वाले शोषण पर बात-बहस करें और खुद ऐसी व्यवस्था बनाएं कि यदि शोषण या उत्पीड़न हो तो छिपा न रहे, शोषण और उत्पीड़न रुके और जरूरी कानूनी कार्यवाही भी हो सके।

बच्चों के शोषण की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

- एचटी डिजिटल और आई एम आर बी के अध्ययन से पता चला कि शहरी भारत में 93 प्रतिशत स्कूली बच्चों की इंटरनेट तक पहुंच उपलब्ध है। 73 प्रतिशत बच्चे मोबाइल पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। यह अध्ययन दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई के 17 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों में किया गया।
- वर्ष 2012 से 2017 के बीच 10 करोड़ बच्चे पहली बार इंटरनेट के संपर्क में आये। इनमें से अधिकतर मोबाइल के जरिये इंटरनेट से जुड़े।
- इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हाटलाइनर्स के मुताबिक वर्ष 2012 से 2014 के बीच ऐसे वेबपृष्ठों की संख्या 147 प्रतिशत बढ़ी हैं, जिनमें लैंगिक उत्पीड़न से सम्बंधित सामग्री में 10 साल या इससे कम उम्र के बच्चों का उपयोग किया गया था।
- ऑस्ट्रेलिया में अधिकारियों ने पुरुषों के ऐसे गिरोह को पकड़ा जो जन्म से ही बच्चों (यानी नवजात शिशुओं का) का लैंगिक शोषण शुरू कर देते थे और उनके चित्र लेते थे। ये चित्र व्यवस्थित ढंग से इंटरनेट तकनीक का इस्तेमाल करके दुनिया भर में 'इसमें रुचि रखने वाले अन्य समूहों-लोगों' को भेजे जाते थे। इसके बाद ये शोषक बच्चों को खुद साथ लेकर अन्य देशों को जाते थे, ताकि अन्य लोग भी उनका शोषण कर सकें।
- इंटरनेट ने दुनिया भर में तकनीक-संपन्न अपराधियों को यौन शोषण, बालश्रम, बंधुआ मजदूरी के लिए बाल-मानव तस्करी को नए रास्ते भी उपलब्ध करवाए हैं।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार ने कहा कि कई कारणों से इंटरनेट के जरिये पोर्नोग्राफी को नहीं रोका जा सकता है। कई वेबसाइट्स के सर्वर देश में हैं ही नहीं। इस सन्दर्भ में भारत सरकार ने 857 ऐसी वेबसाइट्स को प्रतिबंधित करने के आदेश दिए, जो बच्चों के उपयोग वाली पोर्नोग्राफी सामग्री प्रसारित कर रही थी। अभी बहुत से सवाल हैं - मसलन क्या बाल पोर्नोग्राफी को एक अलहदा या अकेला विषय माना जा सकता है? वयस्क यौन व्यवहार के सार्वजनिक प्रदर्शन, हिंसक प्रयोगों और व्यवसायीकरण के लिए जब पोर्नोग्राफी होती रहेगी, तब भी क्या यह बच्चों को प्रभावित नहीं करती रहेगी? दूसरी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार समझौते के बाल वैश्यावृत्ति, बच्चों की खरीद-फरोख्त और बाल पोर्नोग्राफी से सम्बंधित वैकल्पिक प्रावधानों में यह कहा गया है कि दुनिया के देश आपस में मिलकर बच्चों के शोषण को रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं बनाएंगे। भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार समझौते के अनुच्छेदों के आधार पर अन्य

देशों के साथ (जहाँ इस तरह की वेबसाइट्स के सर्वर हैं या जहाँ से ये वेबसाइट्स संचालित होती हैं) जरूरी कदम उठाने चाहिए।

- दुनिया में वेबसाइट्स या सामग्री की जितनी भी खोज की जाती है, उसमें से 10 प्रतिशत से ज्यादा पोर्नोग्राफी सामग्री से सम्बंधित होती है। द इकोनोमिस्ट में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक लगभग 7 से 8 करोड़ वेब पृष्ठों पर पोर्न सामग्री उपलब्ध है। इन सामग्रियों के लिए सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेबसाइट का दावा है कि एक साल में उस वेबसाइट पर 80 अरब बार पोर्न वीडियो देखे जाते हैं। आप खुद ही कल्पना कीजिये !
- द इकॉनोमिस्ट के लेख के मुताबिक इंटरनेट के साथ स्मार्ट फोन, टेबलेट, निजी कम्प्यूटर की सहज उपलब्धता के साथ एक किशोरवय व्यक्ति इतनी पोर्न सामग्री देख चुका होता है, जितनी राजशाही शासन व्यवस्था में किसी सबसे बुरी छवि वाले सुलतान–सम्राट ने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखी होंगी।
- एसोसिएशन ऑफ साइट्स एडवोकेटिंग चाइल्ड प्रोटेक्शन के मुताबिक दुनिया भर में व्यवसाय के रूप में बाल यौन व्यवहार प्रदर्शन करने वाली जितनी भी वेबसाइट्स हैं, उनमें से आधी यानी 50 फीसदी अमेरिका से संचालित होती हैं।
- अकेले अमेरिका में वर्ष 2014 में पोर्न सामग्री से प्राप्त होने वाले राजस्व की राशि 13 अरब डालर थी। वहाँ वर्ष 2014 में केवल बाल पोर्न सामग्री परोसने वाली वेबसाइट्स की संख्या 31266 थी। इनमें सवा सौ प्रतिशत की वृद्धि हो रही है।
- दुनिया में हर रोज बच्चों के अश्लील प्रदर्शन, नग्न चित्र, यौनिक वीडियो से सम्बंधित 300 से 600 नयी सामग्रियां इंटरनेट पर आती हैं।

डिजिटलीकरण (डिजिटलाइजेशन)

भारत में बड़े स्तर पर व्यवस्था और व्यवहार के डिजिटलीकरण की पहल हो रही है। सेवाएं लेने से लेकर, शिकायत करने, पैसों का लेन-देन करने, सरकारी और गैर-सरकारी कामकाज सूचना तकनीक और तकनीकी उपकरणों, इंटरनेट के जरिये किये जाने की जम कर वकालत हो रही है। स्वाभाविक है कि इस पहल का आधार यह है कि हर कोई सूचना तकनीक, इंटरनेट और मोबाइल-कम्प्यूटर उपकरणों का इस्तेमाल करे। जब यह इस्तेमाल बहुत बढ़ेगा, या कहें कि बढ़ रहा है, तब बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के पहलू को कैसे नजर अंदाज किया जा सकता है?

इंटरनेट का बढ़ता दायरा

इंटरनेट का पहला उपयोग अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने 1969 में सीमित दायरे में किया था। तब उसने गुप्त सूचनाओं को भेजने में इसका उपयोग किया था। वर्तमान में इसके उलट, अब इंटरनेट ही है, जिसकी बदौलत किसी सूचना को गुप्त रख पाना संभव नहीं होता। यद्यपि सूचनाएं कितनी सटीक है, इसके बारे सही-सही आंकलन कर पाना संभव नहीं होता। भारत में इंटरनेट 1980 के दशक में आया और इस तक आम आदमी की पहुंच 1990 के दशक में हुई।

इंटरनेट का उपयोग बहुत ही सहज है। एक मोबाइल या फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप कम्प्यूटर हो और उसके साथ डाटा कनेक्शन हो, तो इंटरनेट का उपयोग कोई मुश्किल काम नहीं है। इंटरनेट आपके मोबाइल और कम्प्यूटर को एक ऐसी दुनिया से जोड़ देता है, जहां सब कुछ उपलब्ध है। जिस तरह एक-दूसरे से जुड़े कम्प्यूटर के फाइल को एक-दूसरे पर देखा जा सकता है, उसी तरह इन सारे कम्प्यूटर या कम्प्यूटर के नेटवर्क को एक विशाल नेटवर्क से जोड़ना ही इंटरनेट है और इससे जुड़े सारे नेटवर्क या कम्प्यूटर की सामग्रियों को इंटरनेट के माध्यम से देश-दुनिया के कोने-कोने में देखा जा सकता है और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बैठे लोगों से संपर्क किया जा सकता है।

यह सब संभव होता है किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी और सरकार द्वारा अपनी उपयोगिता के अनुरूप बनाए गए वेबसाइट के कारण। सारे डाटा वेबसाइट के सर्वर पर रहते हैं और जब हम किसी डाटा या सर्विस के लिए सर्च इंजिन या संबंधित वेबसाइट को खोलते हैं, तो हमें वह डाटा या सेवा मिलती है। जैसे - व्यापारिक लेन-देन, नवीनतम और पुरानी जानकारियां, इतिहास, राजनीति, खरीद-बिक्री, परीक्षा, फॉर्म आदि। सब कुछ उपलब्धता के साथ-साथ इंटरनेट के खतरे भी हैं। यदि सावधानियां नहीं रखी जाए, तो इसके माध्यम से हम बड़ी धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं, आपराधिक मामलों में फंस सकते हैं या फिर अपराध के शिकार हो सकते हैं। एक छोटी सी गलती कई बार बहुत भारी पड़ जाती है। इंटरनेट के माध्यम से होने वाली घटनाओं और अपराध को ''सायबर क्राइम'' के नाम से जाना जाता है।

इंटरनेट की दुनिया से एक बार परिचय हो जाने के बाद इससे अलग होना संभव नहीं हो पाता। अब तो बड़े स्तर पर इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक ओर सरकार ''कैशलेस इकोनॉमी'' को बढ़ावा दे रही है, जिसमें सारी लेन-देन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाना है, तो दूसरी ओर उच्च शिक्षण संस्थाओं के साथ-साथ शालाओं में भी इंटरनेट का उपयोग शिक्षण और अध्ययन सामग्री निर्माण के लिए किया जाने लगा है। बिजली का बिल जमा करना हो, खरीदारी के बाद भुगतान करना हो, ऑनलाइन खरीददारी का ऑनलाइन भुगतान करना हो, परीक्षा फॉर्म भरना हो, परिणाम देखना हो, रोजगार के अवसर तलाशने हों, अपनी अभिव्यक्ति को दूर-दूर तक पहुंचाना हो, सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती करनी हो, फोटो साझा करने हों। सब कुछ संभव है इंटरनेट के माध्यम से।

बेहतर इंटरनेट सुविधा के लिए एक चीज और मायने रखती है। वह है उसकी स्पीड। इसका अर्थ है डाटा को तेजी से ट्रांसफर करने की सुविधा। अब अधिकांश दूरसंचार कंपनियां - रिलायंस, बीएसएनएल, एयरटेल आदि 4जी डाटा उपलब्ध करा रही हैं, यानी अधिक से अधिक स्पीड। यद्यपि भारत में अभी भी गांवों में 2जी डाटा या फिर कुछ जगहों पर 3जी डाटा स्पीड ही उपलब्ध है।

सोशल मीडिया यानी फेसबुक व ट्वीटर, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्प यानी व्हाट्सएप्प, अध्ययन के लिए सर्च इंजन के बढ़ते उपयोग और मनोरंजन की बढ़ती वेबसाइट के कारण इंटरनेट के संपर्क में बच्चे बहुत तेजी से आ रहे हैं। युवाओं के बाद इंटरनेट के सबसे ज्यादा उपयोगकर्ता बच्चे ही है। इंटरनेट उपयोगकर्ता महीने में औसतन 60 घंटे खर्च कर रहा है। फेसबुक के उपयोगकर्ताओं में तेजी से बढ़ोतरी होती जा रही है। बच्चे भी सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट खोल रहे हैं।

हमारी सरकारें व्यवस्था और व्यवहार के डिजिटलीकरण (डिजिटलाइजेशन) की नीति लागू कर रही हैं। ऐसे में सामाजिक समूहों की जिम्मेदारी है कि वे इस प्रक्रिया में बच्चों के शोषण की बढ़ती आशंका को नीति के पटल पर सामने लाएं और ऐसी व्यवस्था की स्थापना के लिए पहल करें, जिसमें बच्चों का शोषण न हो और वे तकनीक के जाल में फंसते न जाएँ।

इंटरनेट की उपयोगिता

ई कारोबार

इंटरनेट एक बाजार बन चुका है। यहां हर रोज मेला लगा रहता है। विभिन्न ऑनलाइन कंपनियां घर पहुंच सेवा मुहैया कराती हैं इंटरनेट के माध्यम से। यहां उत्पादों का विशाल भंडार होता है और सबकी तुलनात्मक जानकारी भी होती है। एक-दूसरे से तुलना कर अपनी जरूरत और पसंद के साथ-साथ उचित कीमत का आंकलन कर खरीदी कर सकते हैं। अब तो सेकेण्ड हैंड माल भी खरीदने और बेचने का माध्यम बन चुका है इंटरनेट। इन सबका भुगतान इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।

ई-बैंकिंग

अब जब आप बैंक में जाते हैं, तो अक्सर बैंक वाले कहते हैं कि आप नेट-बैंकिंग और मोबाइल-बैंकिंग की सुविधा ले लें। यह दोनों इंटरनेट की सुविधा से ही जुड़ा हुआ मामला है। यदि आप मोबाइल में इंटरनेट का उपयोग करते हैं, तो मोबाइल बैंकिंग की सुविधा ले सकते हैं। किसी भी कम्प्यूटर पर इंटरनेट का उपयोग करने वाला नेट बैंकिंग की सुविधा ले सकता है। शेयर बाजार भी पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुका है। बैंकिंग का लगभग पूरा कारोबार इंटरनेट के माध्यम से ही होता है। लेन-देन चंद मिनटों में कर पाना आसान हो गया है।

ई-कम्यूनिकेशन (ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग)

पहले चिट्ठियों का जमाना था। ''डाकिया डाक लाया'' अब धीरे-धीरे इतिहास बनने की कगार पर है। ईमेल एक ऐसा शब्द बन चुका है, जिसके बारे में अधिकतम लोगों को जानकारी है। ईमेल यानी इंटरनेट के माध्यम से चिट्ठी भेजना। और इसके साथ फोटो, वीडियो या लिखित में कोई बड़ा दस्तावेज भेजना भी आसान। वो भी मिनट भर में, यदि इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो। चैटिंग यानी अलग-अलग जगहों पर बैठे दो या दो से अधिक लोग चैट उपलब्ध कराने वाली वेबसाइट पर एक ही समय में एक साथ लिखकर संवाद कर सकते हैं। यह लिखित तरीके से संवाद है।

इंटरनेट के माध्यम से वीडियो चैट भी की जाती है। वीडियो चैट में दो या उससे अधिक लोगों का कैमरा वाले कम्प्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से जीवंत संवाद किया जाता है। इसमें पहले को दूसरे का और दूसरे को पहले का चेहरा सामने दिखाई देता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सामूहिक रूप से अलग-अलग जगहों पर बैठे लोगों की बैठक आयोजित की जाती है। इस तरह से शिक्षण गतिविधियां भी चलाई जाती हैं, जिसमें कोई शिक्षक घर बैठे दूर-दराज के क्षेत्र में बच्चों की क्लास लेता है।

ई-लर्निंग

इंटरनेट की दुनिया में ई-लर्निंग एक बड़ा क्षेत्र है। बड़े-बड़े संस्थान के साथ-साथ छोटे संस्थान भी ई-लर्निंग उपलब्ध कराते हैं। देश-विदेश के संस्थान इंटरनेट के माध्यम से कोर्स करवा रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से शिक्षक या विषय विशेषज्ञ से संवाद किया जाता है। ऑनलाइन में कई प्रकार के ट्यूशन के वेबसाइट भी हैं, जो इंटरनेट के द्वारा ही संभव है। यह एक बड़ा बाजार भी बन चुका है। इंटरनेट के माध्यम से कई व्यावसायिक विषयों की पढ़ाई की जा रही है, जिसमें सवाल-जवाब, पाठ्य सामग्री और परीक्षा तक भी इंटरनेट के माध्यम से ही होता है। कई विभागों, जैसे - स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास आदि ने इंटरनेट पर लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराया है।

ई-लाइब्रेरी

ई-लाईब्रेरी इंटरनेट पर उपलब्ध पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य दस्तावेजों का ढेर है। दुनिया भर की बड़ी लाइब्रेरी, विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरी और पुस्तकें इंटरनेट पर मौजूद हैं। इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पुस्तकें पढ़ने की सुविधा भी उपलब्ध है।

ई-सेवाएं

आजकल अधिकतम सेवाएं इंटरनेट के जरिए ही हो रही है। कई सेवाओं के लिए तो सिर्फ इंटरनेट ही माध्यम रह गया है। रेलवे, सिनेमा, बस आदि का टिकट बुक करना, होटल बुक करना, बिल का भुगतान करना, परीक्षा फॉर्म भरना, नौकरी के लिए आवेदन देना, शिकायत करना, मदद लेना, ऑनलाइन पंजीयन, स्वास्थ्य सेवाएं, नौकरी के लिए परीक्षा देना, असाइनमेंट बनाना सारा कुछ इंटरनेट के माध्यम से संभव है।

ई-चौपाल

इंटरनेट की पहुंच ग्राम पंचायत तक ले जाया जा रहा है। जहां ग्रामीण विकास से संबंधी सारी गतिविधियों के संचालन में इंटरनेट की मदद ली जा रही है।

ई-कृषि

इसमें खेती-किसानी से जुड़ी खबरों और सेवाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमें इंटरनेट के माध्यम से ही मिलती हैं।

टेलीमेडिसिन

इंटरनेट के माध्यम से चिकित्सा के क्षेत्र में भी कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जांच रिपोर्ट ऑनलाइन भेजना और देखना, ऑनलाइन विशेषज्ञों से सलाह लेना, दवाइयों और उसके साइड इफेक्ट के

बारे में जानकारी पाना, डॉक्टर से ऑनलाइन समय लेना, ऑनलाइन पंजीयन कराना, दूरस्थ इलाकों के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह लेना, रोगों के बारे में जानकारी हासिल करना, अस्पतालों का विवरण पाना आदि ऐसे काम हैं, जो आज इंटरनेट के माध्यम से आसानी से किए जा रहे हैं।

मनोरंजन

इंटरनेट के माध्यम से मनोरंजन की दुनिया में पहुंचना आसान हो गया है। गीत, संगीत, सिनेमा, डॉक्यूमेंट्री के साथ-साथ वीडियो गेम का संसार मुट्ठी में आ गया है। मनोरंजन की यह पकड़ इतनी मजबूत है कि जिन बच्चों की पहुंच इंटरनेट तक हो गई है, वे आउटडोर यानी घर से बाहर निकलकर मनोरंजन करना भूलते जा रहे हैं। शहरी एवं कस्बाई एकल परिवारों के अधिकांश बच्चे इंटरनेट पर उपलब्ध मनोरंजक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। वीडियो और फिल्मों का उपयोग सभी उम्र के लोग कर रहे हैं। कई सामग्री फ्री डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हैं यानी उसे इंटरनेट से अपने कम्प्यूटर या मोबाइल में सहेजना और फिर बिना इंटरनेट कनेक्शन के उसका बाद में भी उपयोग करना।

सर्च इंजन

सर्च इंजन यानी इंटरनेट पर बिखरे और मौजूद जानकारियों या सेवाओं तक पहुंचने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करते हैं, वह सर्च इंजन कहलाता है। यह एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसे वेब सर्च इंजन कहते हैं, जैसे- गूगल, याहू आदि। सर्च इंजन के माध्यम से हम किसी प्रकार की जानकारी कुछ ही पल में हासिल कर सकते हैं। यदि हमें किसी वेबसाइट का वेब एड्रेस नहीं मालूम हैं, जिसे ब्राउसर यानी मोजिला, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर आदि में सीधे टाइप कर उस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं, तो सर्च इंजन हमें वहां तक

पहुंचाने में मददगार साबित होता है।

ई-मीडिया

ई मीडिया में ई-पेपर, न्यूज पोर्टल, ई-टेलीविजन, वीडियो न्यूज पोर्टल और न्यूज एप्प आते हैं। ई-पेपर यानी अखबारों के ऑनलाइन संस्करण। अलग-अलग जगहों से छपे हुए अखबारों को अब इंटरनेट पर भी अखबार के रूप में पढ़ा जा सकता है। इसी तरह से कई संस्थान अब सिर्फ ई-पेपर ही निकालते हैं, उनका प्रिंट संस्करण नहीं निकालते। इंटरनेट पर अब रेडियो सुनने और टेलीविजन देखने की सुविधा भी उपलब्ध हो गई है। न्यूज पोर्टल और वीडियो न्यूज पोर्टल पर भी खबरें पढ़ी और देखी जा सकती हैं। न्यूज एप का डिजाइन मोबाइल के लिहाज से किया जाता है, जहां खबरें पढ़ने और देखने में सहूलियत हो।

सोशल मीडिया एवं सोशल नेटवर्किंग

आजकल इंटरनेट की सबसे ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया एवं सोशल नेटवर्किंग को लेकर ज्यादा होती है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद का विस्तार है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नाम बन चुका है फेसबुक। इसके साथ ही ट्वीटर, टम्बलर, गूगल प्लस, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वाइन, स्टोरीफाई, ब्लॉगस्पॉट आदि प्रमुख हैं। ट्वीटर पर एक पोस्ट में सीमित शब्द लिखे जा सकते हैं। इंस्टाग्राम फोटो शेयरिंग साइट्स है। इस पर 15 सेकेंड का वीडियो भी डाला जा सकता है। वाइन ट्वीटर का ही एक उत्पाद है, जो कि उसके साथ जुड़ा हुआ है और इस पर 6 सेकेंड का वीडियो डाला जा सकता है। टम्बलर एक माइक्रोब्लॉगिंग साइट है। स्टोरीफाई एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म हैं, जहां विभिन्न साइट्स की गतिविधियों को एक स्टोरी के रूप में देखा जा सकता है। व्हाट्स एप्प सोशल मीडिया में नहीं आता है। पर यह तत्काल संदेश भेजने का सबसे ज्यादा पॉपुलर एप्प है। इसके लिए भी इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। फेसबुक के माध्यम से सबसे ज्यादा सोशल नेटवर्किंग की जा रही है और यह सोशल मीडिया का भी बड़ा प्लेटफॉर्म है। विख्यात लोग, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी सब लोग सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। इसमें आपसी संवाद, फोटो वीडियो ऑडियो व लिखित सामग्री की साझेदारी या अभिव्यक्ति इसके माध्यम से आसानी से हो जाती है। समान विचार और अन्य सामान्य कारणों से बिना किसी से मिले ही सोशल नेटवर्किंग होती है और नए दोस्त बनते हैं।

इंटरनेट : घनी असुरक्षा के बीच बच्चे

तकनीकी पहलू

इंटरनेट के सन्दर्भ में बच्चों की असुरक्षा का मतलब आखिर है क्या? इसके लिए हम कुछ तकनीकी पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं।

सुरक्षित इंटरनेट के सन्दर्भ में बच्चे कौन हैं?

यूँ तो फेसबुक कहता है कि 13 साल की उम्र में उसके मंच का उपयोग किया जा सकता है, स्नेप चैट, व्हाट्स एप, वायबर, गूगल प्लस भी यही कहते हैं, किन्तु भारत में नियम अनुसार 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति 'बच्चा' माना जाता है और इससे कम उम्र में इस तरह इंटरनेट के उपयोग की अनुमति नहीं है।

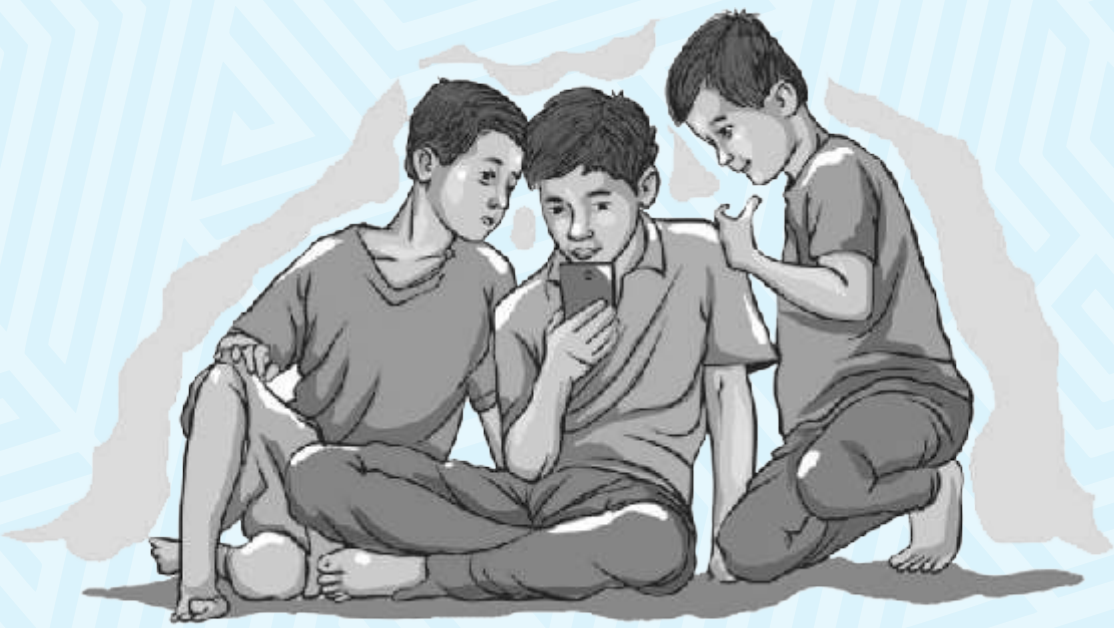

होता क्या है?

सच यह है कि कम उम्र के व्यक्ति यानी बच्चे अपनी उम्र के बारे में गलत जानकारी देकर या झूठ बोलकर इंटरनेट के अलग-अलग मंचों पर खुद को दर्ज करते हैं।

चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बच्चों का अश्लील चित्रण और यौनिक उपयोग

किसी के भी द्वारा ऐसी सामग्री जिसमें बच्चों का अश्लील, यौनिक चित्रण हो या इस मकसद के लिए बच्चों का उपयोग हो, उसका प्रकाशन और प्रसारण 6 सूचना प्रोद्योगिकी कानून 2008 की धारा 67बी (ए)8।

जो कोई भी ऐसी सामग्री का निर्माण करता है, सामग्री इकट्ठा करता है, ऐसे चित्र बनाता है, ऐसे वेबसाइट देखता है-उपयोग करता है, डाउनलोड करता है, प्रोत्साहित करता है, साझा करता है, जिसमें बच्चों का अश्लील, कामुक, यौनिक प्रस्तुतीकरण होता है; {सूचना प्रोद्योगिकी कानून 2008 की धारा 67बी (बी)}।

किसी बच्चे को अन्य बच्चों के साथ आनलाइन यौनिक-अश्लील सम्बन्ध बनाने के लिए प्रेरित करता है या दबाव डालता है और बच्चों का आनलाइन-इंटरनेट पर शोषण-दुरुपयोग करता है।

इन दशाओं में अपराध साबित होने पर 7 साल ही सजा और 10 लाख रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।

पीछा करना और नजर रखना (सायबर स्टाकिंग)

जब किसी व्यक्ति का ईमेल या इंटरनेट गतिविधियों/इलेक्ट्रानिक संचार के जरिये लगातार और निरंतरता के साथ पीछा किया जाता है, तो उसे सायबर स्टाकिंग कहा जाता है। ऐसे मामलों में सूचना प्रोद्योगिकी कानून की धारा 66ए, 66सी और 66ई के साथ साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 और 509 लागू होती है।

सायबर बुलिंग

इंटरनेट, ईमेल या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक संचार तकनीक का उपयोग करते हुए किसी को प्रताड़ित करना, नीचा दिखाना, उलाहना देना, अपमानित करने या धमकाने जैसे व्यवहार को सायबर बुलिंग कहा जाता है। ऐसे मामलों में सूचना प्रोद्योगिकी कानून की धारा 66ए, 66सी और 66ई के साथ साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 और 509 लागू होती है।

अश्लील या पोर्न सामग्री प्रसारित करना

ई-मेल, इंटरनेट या सूचना तकनीक के किसी माध्यम से यौन व्यवहार सम्बन्धी चित्र, ध्वनि, कार्टून, एनीमेशन, वीडियो समेत कोई भी सन्देश भेजना।

गृह मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा जारी एडवायजरी भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 4 जनवरी 2012 को बच्चों के खिलाफ होने वाले सायबर अपराधों को रोकने और उनसे निपटने के लिए एडवायजरी जारी की थी। उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं -

1. कानून लागू करने के लिए जिम्मेदार संस्थाओं, मसलन पुलिस, अभियोजन और न्यायपालिका और सामान्य समाज को सूचना प्रोद्योगिकी कानून 2008 के बारे में प्रशिक्षित किये जाने, संवेदनशील बनाए जाने और सक्रिय कार्यवाही के लिए तत्पर बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमीनार का

आयोजन किया जाना चाहिए। इसमें बच्चों के खिलाफ होने वाले सायबर अपराधों पर मुख्य ध्यान हो।

2. किशोर न्याय अधिनियम के तहत बनी विशेष किशोर पुलिस इकाईयों को संवेदनशील बनाने और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

3. पालकों, शिक्षकों और बच्चों को जागरूक किया जाए कि वे किसी भी तरह के आपत्तिजनक सामग्री–अश्लील प्रस्तुति को बारे में रिपोर्ट करें। बच्चों को सायबर अपराधों के बारे में जानकारी दी जाना चाहिए।

4. ऐसी वेबसाइट और शोषण नेटवर्किंग साइट्स की निगरानी की जाना चाहिए, जो अश्लील और बच्चों के आपत्तिजनक चित्रण का प्रसार करती हैं। जरूरी है कि 'पालकों की निगरानी–नियंत्रण में इंटरनेट के उपयोग का साफ्टवेयर–पेरेंटल कंट्रोल साफ्टवेयर' का इस्तेमाल हो।

5. डिजिटल/तकनीकी सबूतों को इकट्ठा किये जाने और उनकी सुरक्षा से सम्बंधित प्रशिक्षण हो।

6. जिन बच्चों के साथ अपराध या शोषण हुआ हो, उनकी पहचान को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए।

7. पुलिस नियंत्रण कक्ष और बच्चों के संरक्षण के लिए संचालित हो रही हेल्पलाइन 1098 के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए।

8. राज्य पुलिस की वेबसाइट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और विभिन्न वेब ब्राउजर्स पर बच्चों के लिए इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग से सम्बंधित सामग्री वाला विशेष कोना होना चाहिए।

9. ऐसी व्यवस्था विकसित होना चाहिए, जिससे सायबर कैफे के रिकार्ड्स को एक केन्द्रीय स्थान से जांचा जा सके।

बच्चों का इंटरनेट पर शोषण

- टेलीनोर इंडिया के वेब वाइस सर्वे (जो दस शहरों में किया गया) के मुताबिक शहरी भारत के नौ से 17 साल की उम्र के बच्चे औसतन 4 घंटे इंटरनेट के साथ गुजारते हैं। ज्यादातर समय मोबाइल इंटरनेट पर खर्च होता है।

  वर्ष 2017 के दौरान भारत के 13.4 करोड़ बच्चे ऑनलाइन होंगे।
- वेब वाइस सर्वे से पता चला कि 54.8 प्रतिशत बच्चे अपने इंटरनेट खातों से जुड़े पासवर्ड दोस्तों से साझा करते हैं। इससे इंटरनेट पर उनके असुरक्षित होने का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है।
- 35.47 प्रतिशत बच्चों ने बताया कि उनके इंटरनेट खाते (ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्ड इन आदि) हैक हुए यानी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा उनके खातों तक पहुंच बनायी गयी और अनाधिकृत उपयोग किया गया।
- 15.74 प्रतिशत बच्चों ने बताया कि उन्हें इंटरनेट पर अनुचित सन्देश मिले।
- 15.01 प्रतिशत बच्चों ने बताया कि उन्हें आनलाइन प्रताड़ना-धमकी-धौंस का सामना करना पड़ा है।
- 10.14 प्रतिशत बच्चों को अपमानजनक चित्र या वीडियो सन्देश मिले।
- ज्यादातर बच्चे यह मानते हैं कि इंटरनेट-सायबर अपराध से सम्बंधित किसी घटना की स्थिति में वे अपने माता-पिता या शिक्षकों से सबसे पहले बात करेंगे।

बच्चे इंटरनेट या सूचना तकनीक के कारण कैसे शोषण के शिकार होते हैं?

इसे हमें दो तरह से समझना होगा –

पहला – बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, किन्तु उनके आपत्तिजनक/अश्लील फोटो या वीडियो इंटरनेट के जरिए फैलाए जाते हैं। इनका व्यावसायिक इस्तेमाल होता है। यह भी संभव है कि बच्चों या किशोरवय व्यक्ति को यह पता ही न हो कि उनके इस तरह के फोटो या वीडियो इस तरह फैल रहे हैं।

दूसरा – इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए शोषण में फँस जाने वाले बच्चे; अनजाने व्यक्तियों के संपर्क में आकर या संगठित गिरोह के रूप में शोषण करने वाले लोगों के झांसे में आकर बच्चे शोषण का शिकार होते हैं। जब वे फँस जाते हैं, तब उनका शारीरिक, आर्थिक शोषण तो होता ही है, उनसे अपराध भी करवाए जाते हैं।

इंटरनेट विभिन्न परिस्थितियों में बच्चों का इन रूपों में शोषण करता है

बच्चों का अश्लील रूप में प्रदर्शन (चित्र, वीडियो और शाब्दिक चित्रण), जिससे उनकी गरिमा, सम्मान और स्वतंत्रता को आघात लगता है। यह अवसाद का कारण बनता है। बच्चे आपराधिक गतिविधियों में फंस सकते हैं और खुद अन्य बच्चों के शोषण की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ प्रकरणों में बच्चे आत्महत्या या हत्या करने के लिए प्ररित होते हैं।

बच्चों को यौन व्यवहार और यौन व्यापार का हिस्सा बनाना

बच्चों के व्यवहार को हिंसक बनाना और दुर्व्यवहार की तरफ धकेलना, जब बच्चे को यौन व्यवहार के जाल में फंसाया जाता है, तब उनके खुद यौन हिंसा में शामिल होने की आशंका बढ़ती है।

उन्हें अपराध की तरफ प्रेरित करना, इंटरनेट कई मर्तबा बच्चों को ऐसे उपभोक्तावादी व्यवहार की तरफ लेकर जाता है, जिनसे उनकी जरूरतें बनावटी रूप से बढ़ती हैं, उन्हें लतें लगती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए वे अपराध करते हैं।

वयस्कों के द्वारा शोषण, इंटरनेट केवल बच्चों को सीधे प्रभावित नहीं करता है, बल्कि वयस्क खुद ऑनलाइन अश्लील सामग्री का उपयोग करके बच्चों का शोषण करने लगते हैं क्योंकि बच्चों की आवाजों को अकसर दबा दिया जाता है और उनकी बात सुनी नहीं जाती हैं।

इंटरनेट काल्पनिक दुनिया का विस्तार करता है, बच्चे उन काल्पनिक दृश्यों या सामग्री को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते हैं। जिनसे उन्हें नुकसान पहुंचता है।

विकसित होते मन और मस्तिष्क पर असर डालते हुए, बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करना, वर्तमान समय में 9 साल की उम्र के बच्चे भी 2 से 3 घंटे का समय इंटरनेट पर गुजारते हैं। उन्हें इस दौरान कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता है। इंटरनेट अपने आप उन्हें अवांछित सामग्रियों की ओर ले जाता है। शिक्षा, संबंधों और रचनात्मकता से दूर ले जाना।

असर

इंटरनेट और सूचना तकनीक बाल शोषण के संवाहक बन जाते हैं। इसके दो बहुत सीधे असर होते हैं-

1. इसमें बच्चों से यौनिक व्यवहार करवाया जाता है। इसमें या तो केवल बच्चे शामिल होते हैं या फिर बच्चों के साथ कोई अन्य व्यक्ति इसमें शामिल होता है। यानी बच्चों के साथ शोषण और दुर्व्यवहार होता है। इसका प्रसारण इंटरनेट या सूचना तकनीक के जरिये होता है।
2. जब इसका प्रसार होता है, तो अन्य लोग इसे देखते हैं। इससे वे बच्चों का शोषण या बच्चों से यौन दुर्व्यवहार करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस मायने में बच्चों के शोषण का दायरा कई गुना बढ़ता जाता है।

पोर्नोग्राफी एवं चाइल्ड पोर्नोग्राफी

इंटरनेट पर अश्लील सामग्रियों की भरमार है। यहां लिखित, ऑडियो और सबसे ज्यादा वीडियो में अश्लील सामग्रियां मौजूद हैं। भारत सरकार लगातार शिकायतों के बाद इस तरह के वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगाती हैं, इसके बावजूद इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है। अधिकांश का संचालन विदेशों से होता है। लेकिन हाल के वर्षों में भारत में भी पोर्नोग्राफी बढ़ी है। सर्च इंजन के जरिए अधिकांश वेबसाइट तक पहुंचना आसान होता है। ऐसे में इसकी पहुंच बच्चों तक न हो, इसके लिए व्यापक और प्रभावी तकनीकी प्रावधान नहीं है। ऐसे में यह जरूरी है कि इंटरनेट के माध्यम से किए जाने वाले तमाम उपयोगी कामों के बीच बच्चे किसी तरीके से इसकी गिरफ्त में नहीं आए।

इसके लिए बच्चों द्वारा सर्च की जाने वाली सामग्रियों पर नजर रखनी चाहिए और इसके लिए जरूरी सॉफ्टवेयर भी मोबाइल एवं कम्प्यूटर में इन्स्टॉल करना चाहिए।

इंटरनेट की एक सबसे बड़ी चुनौती चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। बच्चों का यौन शोषण और विकृत मानसिकता के लिए उनका इंटरनेट के माध्यम से मुनाफे के लिए उपयोग। यह बच्चों के भविष्य को खतरे में डालने वाला कृत्य है। इसे लेकर संसद में बहस भी होती है और न्यायालयों में प्रकरण भी दर्ज हैं। अभी हाल ही में सरकार ने 3000 से ज्यादा पोर्न साइट पर प्रतिबंध लगाया है, इसमें से बहुत सारे चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाले वेबसाइट थे। यद्यपि इसके बावजूद पोर्नोग्राफी एवं चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना संभव नहीं दिखता। लगातार वेबसाइट का नाम बदलने एवं अधिकांश का विदेशों से संचालन होने के कारण पूरी तरह से इस पर रोक लगा पाना संभव नहीं हो पाता है।

सेक्सटिंग

इंटरनेट का इस्तेमाल करके मोबाइल के जरिये यौन व्यवहार से सम्बंधित सन्देश या फोटो भेजे जाने की प्रक्रिया को सेक्सटिंग कहा जाता है। कई बार सामान्य प्रक्रिया में ही दो लोगों के प्रणय चित्र या रोमेंटिक चित्र और नग्न या अर्धनग्न चित्रों के आने या उन्हें भेजे जाने से यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बच्चे और किशोरवय में इसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं लग पाता है और इसकी गंभीरता बढ़ती जाती है। यह माना जाता है कि हाईस्कूल स्तर के लगभग एक तिहाई बच्चे नग्न तस्वीरों का आदान-प्रदान कर चुके होते हैं। एक स्तर के बाद वे खुद के नग्न या अर्धनग्न चित्रों का आदान-प्रदान करने लगते हैं और खतरा बढ़ता जाता

है। पोर्नोग्राफी का व्यापार करने वाले व्यवस्थित ढंग से इस तरह के चित्र जारी करते हैं जो आगे चलकर फारवर्डिंग के जरिये फैलते जाते हैं।

जरा यह ध्यान रखिये कि बच्चे नग्न या अर्धनग्न या यौनिक प्रकृति के सन्देश से तो नहीं जुड़ रहे हैं?

पोर्नोग्राफी एक तरह का पैना हमला

पोर्नोग्राफी यानी अश्लील फोटो, कार्टून और वीडियो सामग्री का सबसे बड़ा निशाना बच्चे और युवा हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इंटरनेट ने सूचना की उपलब्धता को बहुत आसान बनाया है; किन्तु इंटरनेट खुद यह नहीं सोचता है कि जो सूचना वह फैला रहा है वह सही है या गलत है, वह नैतिक है या अनैतिक है!! यह तो हमें यानी इंसानों को सोचना और समझना होगा। आज इंटरनेट पर 70 लाख से ज्यादा ऐसी साइट्स या मंच उपलब्ध हैं, जहां, यौन और कामुकता से सम्बंधित व्यवहार को प्रदर्शित करने वाली सामग्री उपलब्ध है। पोर्नोग्राफी से सम्बंधित कुछ शब्दों का सर्च इंजिन में उपयोग करके इन वेबसाइट्स तक पहुंचा जा सकता है। ज्यादातर साइट्स बिना किसी शुल्क के पोर्न सामग्री उपलब्ध करवाती हैं। उन्हें पता होता है कि पोर्नोग्राफी एक खतरनाक किस्म का नशा है और जब लोग एक बार इस नशे में फंसते हैं, तो उनका शोषण किया जाना आसान हो जाता है। इसके बाद उनसे पोर्न साइट्स के उपयोग के लिए भारी शुल्क भी वसूल किया जाता है।

जैसे कि हमने पहले उल्लेख किया कि हम जब भी कोई खाता बनाते हैं या किसी वेबसाइट पर अपने नाम, क्षेत्र, उम्र, सामाजिक-आर्थिक स्थिति से सम्बंधित जानकारी दर्ज करते हैं, तब पूरी संभावना होती है कि वह जानकारी हासिल कर ली जाए और उसका उपयोग किया जाए।

मसलन पोर्न साइट्स चलाने वाले चाहते हैं कि उन्हें 12 साल से 35 साल की उम्र के उन व्यक्तियों की जानकारी मिल जाए, जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और उनके ब्लॉग या ईमेल का पता मिल जाए। हम जब हम ईमेल खाता खोलते हैं, तब ये सारी जानकारियां वहां दर्ज की ही जाती हैं।

पोर्न साइट्स चलाने वाले या पोर्न सामग्री का व्यापार करने वाले इस उम्र के लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उनके ईमेल पर अपनी तरफ से पोर्न सामग्री भेजने लगते हैं। उन सामग्रियों के शीर्षक उत्तेजक या आकर्षक होते हैं; जिनसे प्रभावित होकर ईमेल खाता धारक वह लिंक/वेबसाइट खोल लेते हैं और जैसे ही वे उस लिंक को खोलते हैं, हमारी पूरी जानकारी, हमसे जुड़े सभी लोगों की जानकारी, उनके ईमेल, उनकी निजी जानकारी अनजाने में ही सही पर पोर्न सामग्री के व्यापारियों तक पहुंच जाती है।

इसी तरह जब कोई व्यक्ति किसी स्मार्ट फोन या कम्प्यूटर से पोर्न साइट्स का उपयोग करता है, तब हर बार उसके द्वारा पोर्न साइट्स का उपयोग किये जाने की जानकारी ''पोर्न साइट्स संचालकों'' तक पहुंचती जाती है। वे जान जानते हैं कि कौन पोर्न साइट्स का उपयोग कर रहा है! और इसके बाद पोर्न साइट्स के उस 'उपभोक्ता' के फेसबुक, ट्विटर या ईमेल पर भी 'पोर्न सामग्री' अपने आप आना शुरू हो जाती है।

इसके बाद बार-बार पोर्न सामग्री हमारे कम्प्यूटर तक पहुंचने लगती है। जो लोग इससे प्रभावित होते हैं, वे बार-बार इसका उपयोग करते हैं। यह आदत उन्हें अन्य पोर्न साइट्स या मंचों तक जाने के लिए प्रेरित करती है।

शुरू में तो उनकी रूचि इंटरनेट तक ही सीमित होती है, पर जल्दी ही वे 'पोर्न व्यवहार' के प्रति सक्रिय होने लगते हैं। उनका व्यवहार पोर्न सामग्री से प्रभावित होने लगता है।

भारत में भी अब पोर्न सामग्रियों से प्रभावित होकर किशोर और युवा अब 'सक्रिय यौन संबंधों, यौन शोषण, यौन प्रयोगों और यौन हिंसा' की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं।

सामाजिक जीवन में भी पोर्न सामग्रियों का प्रभाव अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है।

युवा और अब अन्य व्यक्ति भी पोर्न साइट्स से मिलने वाली सामग्री और निर्देशों का निजी तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसका असर उनके व्यक्तित्वऔर व्यवहार पर गहरा असर डाल रहा है।

इसी के कारण अब बच्चों का यौन शोषण भी बहुत तेज गति से बढ़ रहा है क्योंकि बच्चे यौन हिंसा का आसान शिकार होते हैं।

साइबर कैफे में जाने-अनजाने में युवा पोर्न साइट्स तक पहुंच जाते हैं और इसका फायदा कुछ साइबर कैफे वाले भी उठा लेते हैं। इसके बाद वे यौन शोषण और आपराधिक गतिविधियों के शिकार होने लगते हैं।

आज की स्थिति में हमें हमेशा यह नजर रखना जरूरी है कि बच्चे, किशोरवय और युवा किस तरह इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं? उन तक किस तरह की सामग्री पहुंच रही है और उस सामग्री का उन पर क्या असर हो सकता है? अपने आप से यह सवाल पूछिये कि क्या हम इंटरनेट के जिम्मेदार इस्तेमाल पर नजर रखे हुए हैं?

साइबर कैफे या बाजार में इंटरनेट का उपयोग

आप जानते ही हैं कि साइबर कैफे के जरिये भी इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल कस्बों या शहरों में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर ऐसे कैफे खुल चुके हैं, जहां, हम कुछ राशि का शुल्क चुकाकर निश्चित समय के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। ट्रेन टिकिट की बुकिंग करने से लेकर परीक्षा के फार्म भरने, परीक्षा के परिणाम जानने या स्कूल-कालेजों की कक्षाओं में होने वाले प्रायोगिक कार्य के लिए जब इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, तब लोग (खासकर के किशोरवय और युवा) साइबर कैफे जाकर इंटरनेट का उपयोग करते हैं।

जिन लोगों के पास अपने इंटरनेट कनेक्शन नहीं हैं, उनके लिए साइबर कैफे बहुत मददगार साबित होते हैं। लेकिन साइबर कैफे के साथ बहुत संवेदनशील नियम भी जुड़े हुए हैं; मसलन जब भी कोई व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग करेगा, उसे अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। साइबर कैफे में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को पूरी निजता मिलना चाहिए ताकि कोई उसके खातों से सम्बंधित जानकारी न देख सके।

हमें यह स्वीकार करना होगा कि कई जगहों पर कुछ साइबर कैफे खुद भी इन्टरनेट का दुरूपयोग करते हैं और वे युवाओं और बच्चों की जानकारी हासिल करके उनका दुरूपयोग भी करते हैं।

साइबर कैफे में किसी भी परिस्थिति में पोर्न साइट्स (ऐसे वेबसाइट्स, जिन पर अश्लील सामग्री होती है) का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, परन्तु ज्यादा आर्थिक लाभ कमाने के लोभ में कुछ साइबर कैफे उपभोक्ताओं को पोर्न साइट्स के उपयोग की अनुमति दे देते हैं।

ऐसे में जरूरी है कि हम उन साइबर कैफे के बारे में जानकारी रखें, जहां, इंटरनेट का गलत उपयोग किया जाता है। जब भी साइबर कैफे पर इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, तब आखिर में यह सुनिश्चित करें कि हमने उन सभी वेबसाइट्स को बंद कर दिया है और अपने ईमेल या सोशल साइट्स के खातों से लाग आउट कर लिया है।

ऑनलाइन ग्रूमिंग (इंटरनेट पर सौंदर्य-भावनात्मकता आधारित सम्बन्ध)

हमें यह समझना होगा कि बच्चों के शोषण की इच्छा रखने वाले लोग, इन्ही इंटरनेट मंचों का इस्तेमाल करते हैं, जिनका बच्चे ज्यादा उपयोग करते हैं। बच्चों से सम्बन्ध बना कर, वे उनसे जानकारियाँ हासिल करते हैं। इनके इंटरनेट खातों की सूचना हासिल कर लेते हैं। उन खातों से अश्लील सामग्री-वीडियो-फोटो भेजते हैं। जब ये सामग्री बच्चों के इंटरनेट खातों में दर्ज हो जाती है, तब ये लोग फिर बच्चों को धमकाते हैं और गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं।

वर्तमान में एक व्यवहार देखा जा रहा है, जिसे ऑनलाइन ग्रूमिंग (इंटरनेट पर सौंदर्य- भावनात्मकता आधारित सम्बन्ध) कहा जाता है। इसमें कोई व्यक्ति बच्चों, किशोरों या युवाओं से ऑनलाइन संपर्क में आता है और भावनात्मक सम्बन्ध बनाता है। उनका विश्वास जीतने और सम्बन्ध बनने के बाद वे बच्चों-किशोरों को लैंगिक व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ तक कि उनसे आपराधिक गतिविधियां भी करवा लेते हैं।

इस तरह की गतिविधि में अकसर अनजाने लोग ही शामिल नहीं होते, कई बार जान-पहचान वाले लोग भी इस तरह बच्चों का शोषण करते हैं।

चूंकि इसमें पहले बच्चों से गहरा भावनात्मक सम्बन्ध बनाया जाता है, इसलिए बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि वे किसी गलत दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं।

जो लोग ऑनलाइन मंचों का इस्तेमाल करके बच्चों का शोषण करते हैं, वे लोग पहले कुछ लक्षित बच्चों-किशोरवय लोगों की पहचान करते हैं। उनके इंटरनेट खातों या रुचियों की पड़ताल करते हैं। फिर उनसे संपर्क करते हैं।

बच्चों से भावनात्मक सम्बन्ध बना कर शोषण करने वाले यह देखते हैं कि कौन सा बच्चा या किशोर किस

तरह की बात लिख-कह रहा है या अभिव्यक्ति कर रहा है! यदि उसमें आत्मविश्वास की कमी दिखती है या कोई जरूरतमंद दिखता है या ऐसा लगता है कि किसी बच्चे को पर्याप्त पारिवारिक-सामाजिक संरक्षण नहीं मिला रहा या कोई बच्चा अकेलापन महसूस कर रहा है, तो ऐसे बच्चे आसान शिकार बनते हैं।

शुरुआत में शोषण की तैयारी करने वाले लोग सीधे किसी खास बच्चे को लक्ष्य नहीं बनाते हैं। वे कई बच्चों या किशोरवय या युवाओं को सन्देश भेजते है या उनसे संवाद करते हैं। फिर जो उनके जाल में फंसते जाते हैं, वे उनका शोषण करने लगते हैं।

यह भी देखा जा रहा है कि इस तरह के लोग हमेशा बच्चों से मिलते नहीं हैं। वे उन बच्चों के चित्र या वीडियो हासिल कर लेते हैं। उन्हें वेब कैमरे पर लैंगिक अश्लील व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर जो बच्चे-किशोर इसमें फँस जाते हैं, उनका इस्तेमाल करके अन्य बच्चों को इन गतिविधियों से जोड़ा जाता है।

इंटरनेट के जरिये शोषण और संगठित गिरोह

जब शोषण की प्रक्रिया शुरू होती है, तब वह एक समय पर आकर संगठित रूप में ले लेती है। यूँ तो ज्यादातर मामलों में यह दिखाई देता है कि एक व्यक्ति एक बच्चे या किशोरवय का शोषण कर रहा है। परन्तु अब यह भी दिखाई देने लगा है कि बच्चों के ऑनलाइन शोषण और उत्पीड़न ने संगठित रूप लेना शुरू कर दिया है।

जो बच्चे या किशोरवय एक बार लैंगिक शोषण या आपराधिक गतिविधियों में फँस जाते हैं, अगले चरण में उन्हें ही नए शिकारों की खोज के लिए जरिया बना लिया जाता है।

इस तथ्य को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है कि महिलाओं या बच्चों को वेश्यावृत्ति में जबरिया धकेलने में इन तरीकों का भी अब खूब उपयोग किया जा रहा है।

रोजगार के अवसरों की कमी, गरीबी, प्रभावशालियों के दबाव या महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ऑनलाइन शोषण-उत्पीड़न बड़ा जरिया बन रहा है।

पर्यटन और बाल शोषण

दुनिया भर में पर्यटन ने बहुत विस्तार लिया है। यूँ तो पर्यटन का मकसद समाज के दूसरे हिस्सों, संस्कृतियों, सामाजिक व्यवहार, प्राकृतिक सौंदर्य और जीवन के रोमांच को जानना-समझना है। यह वास्तव में महज ज्ञान का जरिया नहीं है, बल्कि जीवन में आनन्द और सुकून का जरिया भी बना है।

नए सन्दर्भों में पर्यटन को आर्थिक विकास-व्यवहार-व्यापार के नजरिए से ज्यादा देखा-स्वीकारा जाता है। जब पर्यटन की बात आती है, तब आरामदायक होटलों, आरामतलबी वाली व्यवस्थाओं, जिनमें विलासिता केंद्र में है, को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है।

हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि दुनिया के कई हिस्से 'यौन पर्यटन' के लिए जाने जाते हैं।

गरीबी, संरक्षण की व्यवस्थाओं के अभाव, पर्यटन के प्रति बदलते नजरिए ने बच्चों–महिलाओं–समुदायों के आर्थिक–शारीरिक शोषण को बहुत बढ़ाया है।

इंटरनेट ने इस प्रक्रिया में एक हद तक नकारात्मक भूमिका भी निभाई है। पर्यटन में और पर्यटक क्षेत्रों पर महिलाओं–बच्चों का शोषण बढ़ता गया, क्योंकि वहाँ पर्यटन के विकास को बच्चों–महिलाओं–स्थानीय समाज की अस्मिता–सुरक्षा और पहचान से जोड़कर नहीं देखा गया। भारत में भी पर्यटन नीतियां बच्चों–महिलाओं की शोषण से सुरक्षा के बारे में मौन ही रहती हैं।

शोषण का बच्चों पर असर

इंटरनेट समेत सूचना तकनीक के मंचों पर होने वाले शोषण का बच्चों के तात्कालिक जीवन पर ही असर नहीं पड़ता है, इससे उनके पूरे जीवन और व्यक्तित्व पर गहरा असर पड़ता है। इस तरह के दौर से गुजरने वाले बच्चों में ये प्रवृत्तियां विकसित हो सकती हैं-

- अकेले रहना या अकेलेपन को स्वीकार कर लेना।
- किशोरावस्था में पालक बन जाना।
- शिक्षा में पिछड़ना या शिक्षा छोड़ देना।
- कोई कौशल विकसित न हो पाना और रोजगार से वंचित होना।
- मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं; जैसे तनाव, अवसाद, सभी पर शंका करना।
- आत्महत्या की प्रवृत्ति विकसित होना।
- ऑनलाइन सेवाएं लेने के लिए चोरी करना या झूठ बोलना।
- शराब पीने या नशीले पदार्थों की लत लगना।
- व्यवहार का हिंसात्मक होना।
- बहुत गुस्सा होना।
- आपराधिक व्यवहार और प्रवृत्ति का विकास होना।
- दूसरों का शोषण करना और शोषण के अवसर तलाशते रहना।
- सामाजिक और नैतिक मूल्यों में विश्वास खत्म होना।
- लैंगिक हिंसा में शामिल होने के लिए तत्पर होना।

कब सतर्क हो जाना चाहिए !

अब तक जिस तरह के मामले और अनुभव सामने आये हैं, उनसे कुछ समझ बनती है। ये ऐसे बिंदु हैं, जो हमें सतर्क हो जाने के संकेत देते हैं, जैसे कि –

- जब कोई हमसे निर्वस्त्र यानी बिना कपड़ों का या फिर कम कपड़ों में चित्र मांगे।
- किसी प्रभाव या विश्वास में आकर हमने ऐसे चित्र लिए और उन्हें इंटरनेट से किसी से साझा कर लिया। अब उसके आधार पर मुझे धमकी दी जा रही या कुछ मांग की जा रही है।
- मैं किसी से ऑनलाइन संवाद (फेसबुक, ईमेल या वेब कैमरे से) संवाद कर रहा था। वह मुझे बहुत दयनीय लगा। वह मुझे मिलना चाहता है। मैं अब चिंतित हूँ। वह मुझे भावनात्मक रूप से बहुत प्रभावित कर रहा है।
- मुझे कोई ऑनलाइन धमकी दे रहा है और मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है।

- कभी मैंने वेब कैमरे पर या किसी चित्र में ऐसा कोई व्यवहार/काम किया है, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे उसका पछतावा है। अब मैं बहुत भयभीत हूँ और मुझे डर लग रहा है।
- कोई ऐसा व्यक्ति है, जिससे मैं ऑनलाइन मिला हूँ, पर वह बार-बार मुझसे आमने-सामने मिलने को कह रहा है। मुझे उसका मंतव्य और कारण भी नहीं पता।
- कोई मुझसे ऑनलाइन सेक्स या शरीर के अंगों या लैंगिक संबंधों के बारे में बात करता है। मैं इससे असहज हूँ। मैं अब संवाद नहीं करता, पर वह व्यक्ति लगातार संवाद की कोशिश कर रहा है।
- कोई व्यक्ति मुझसे ऑनलाइन ऐसा काम करने को कह रहा है या दबाव डाल रहा है, जो मैं नहीं करना चाहता।
- कोई व्यक्ति, जिससे मैं ऑनलाइन संपर्क में आया हूँ, मुझे पोर्नोग्राफी से सम्बंधित सामग्री या वेब लिंक भेजता है। वह मुझे ऐसे चित्र भी भेजता है। इससे मैं असहज भी हूँ और मुझे डर भी लग रहा है। वह मुझे कहता है कि वह सबको यह बता देगा कि मेरे ईमेल या कम्प्यूटर में अश्लील सामग्री है।
- जिस व्यक्ति से मैं ऑनलाइन संपर्क में आया, वह मुझसे लगातार निजी तौर पर बात करने की कोशिश करता है।
- मैं किसी व्यक्ति से ऑनलाइन संपर्क में आया, जो मुझसे कह रहा है कि यदि मैं अपने कुछ चित्र उन्हें भेजूं, तो वे मुझे मॉडलिंग, टेलिविजन कार्यक्रमों या फिल्मों में काम दिला सकते हैं।
- मैं किसी व्यक्ति से ऑनलाइन संपर्क में आया, जो मुझसे कह रहा है कि यदि मैं उससे निजी तौर पर मिलूँ तो इसके लिए वह मुझे कुछ धनराशि देगा।
- मैं किसी व्यक्ति से ऑनलाइन संपर्क में आया, उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या खरीदना चाहता हूँ? मैंने महंगे खेल के सामान का जिक्र किया। अब वह कहता है कि वह मुझे कुछ खेल का सामान देना चाहता है।
- मैं किसी व्यक्ति से ऑनलाइन संपर्क में आया, जो मुझसे कह रहा है कि यदि मैं उनसे मिलूँ तो वह मुझे मेरी परीक्षाओं में अच्छे अंक दिलवा सकता है या मुझे किसी अच्छे संस्थान में प्रवेश दिलवा सकता है।
- मैं ऑनलाइन किसी व्यक्ति से संपर्क में हूँ, जो वेब कैमरे से मेरे संपर्क में आता है और वह बिना कपड़ों के सामने आता है या कभी-कभी अश्लील व्यवहार भी करता है।
- मैं ऑनलाइन किसी व्यक्ति से संपर्क में हूँ, जो यह कहता है कि वह जिस स्थिति में है, उसमें मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। अन्यथा वह बहुत खराब स्थिति में चला जाएगा। मुझे लगता है कि यदि उसके साथ कुछ बुरा हुआ, तो मैं इसका जिम्मेदार होऊंगा।
- किसी व्यक्ति ने मेरा सामान्य सा चित्र लेकर उसमें फोटोशॉप से संपादन करके अश्लील चित्र बना

दिया है। अब वह उस चित्र को सबको भेजने की धमकी दे रहा है। वह मुझे कुछ मांगें कर रहा है।

- मैं किसी काम के लिए सायबर कैफे गयी थी। मैं जिस कम्प्यूटर पर बैठी उस पर अचानक से एक अश्लील वेबसाइट खुल गई। जब तक मैं कुछ समझ पाती और उसे बंद करती, तब तक सायबर कैफे में लगे कैमरे में यह रिकार्ड हो गया कि मेरे कम्प्यूटर पर अश्लील वेबसाइट खुली हुई थी। अब मुझे डर है कि इसके बारे में लोगों को पता चल सकता है।
- मेरे कुछ दोस्त मोबाइल पर अश्लील वेबसाइट देखते हैं। जब मुझे पता चला तो मैं उनसे दूर रहने लगा। परन्तु वे हमेशा साथ आने के लिए कहते हैं। मेरे मना करने पर वे कहते हैं कि हम तो यही कहेंगे कि तुम भी हमारे साथ हमेशा ये सामग्री देखते थे। उनकी मंशा यह है कि मैं उनके द्वारा किये जाने वाले यौन व्यवहारों में भी शामिल हो जाऊं!

आवश्यक कदम

- परिस्थितियां कुछ भी हों, दबाव कितना भी हो, बहुत जरूरी है कि बच्चे ऐसी किसी भी घटना या स्थिति के बारे में अपने माता-पिता या ऐसे व्यक्ति को बता सकें, जिन पर उन्हें विश्वास है। ऐसी घटनाओं के सन्दर्भ में बहुत जरूरी है कि हम बच्चों पर अविश्वास का प्रदर्शन न करें, उन्हें ही दोषी न ठहराएं।
- इन परिस्थितियों में बच्चों का परामर्श होना, उनसे संवाद होना जरूरी है। उन्हें अकेला न छोड़ा जाए।
- जरूरत के मुताबिक पुलिस और बाल संरक्षण संस्थाओं की मदद ली जाना चाहिए।

कब क्या करें ?

हम जानते हैं कि देश के हर तीन में से एक बच्चा अब इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। जिम्मेदारी का सबसे पहला कदम तो यही है कि कानून द्वारा तय उम्र तक बच्चे के द्वारा इंटरनेट के स्वतंत्र उपयोग को नियंत्रित किया जाना चाहिए।

18 वर्ष की उम्र तक इंटरनेट का उपयोग समाज–परिवार की निगरानी में ही किया जाना सबसे बेहतर है। इस सच्चाई से इनकार नहीं है कि सीखने, जानने और शिक्षा से इसका सीधा सम्बन्ध बना दिया गया है, किन्तु हमें यह भी मानना होगा कि इंटरनेट का गैर–जिम्मेदार उपयोग न केवल बच्चों को हिंसा और शोषण का शिकार बनाता है, बल्कि वह बच्चों में समाज को अपने अनुभवों के जरिये जानने के अवसरों को भी सीमित करता है। बच्चे संवाद से दूर होते हैं और अपने परिवार–मित्रों–समाज से कटते जाते हैं।

जब भी हम बच्चों के द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए एक व्यवस्था की बात करते हैं, तब कुछ व्यावहारिक पक्षों के बारे में समझ बनाना जरूरी हो जाता है। मसलन –

कब ?	क्या ?
यदि यह पता चले या हमें महसूस हो कि हमारा बच्चा किसी तरह के शोषण या दुर्व्यवहार या दबाव का शिकार हो रहा है !	बच्चे से बात करके पूरी स्थिति पता करें कि मसला क्या है ! वास्तविक स्थिति पता करना जरूरी है।
यदि यह स्पष्ट हो जाए कि बच्चा इंटरनेट पर अश्लील सामग्री देख रहा है।	स्थिति को समझते हुए बच्चों के मामलों से जुड़े मनोवैज्ञानिक/सामाजिक कार्यकर्ता की परामर्श सेवा ली जाए।
यदि यह पता चले कि बच्चे की कोई अश्लील तस्वीर ली गयी है, कोई वीडियो बनाया गया है या किसी अन्य तरीके से दबाव बना कर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है।	ऐसी स्थिति में स्थानीय पुलिस से संपर्क किया जाना चाहिए। बच्चे के पक्ष में रहें और उसे यह अहसास न करवाएं कि उसने कोई अपराध किया है।

यदि यह पता चले कि हमारा बच्चा इंटरनेट के जरिये किसी को परेशान करने या शोषण के लिए दबाव बनाने में जुटा है।

बच्चे से व्यवस्थित ढंग से संवाद करना चाहिए।
उसे इस तरह की हरकतों के कानूनी और सामाजिक पहलुओं से अवगत करवा देना चाहिए।
इस तरह के व्यवहार के उसके जीवन और परिवार पर क्या असर पड़ सकते हैं, यह समझना चाहिए।
बच्चे के व्यवहार और क्रियाकलापों पर नजर रखना चाहिए।
यह जरूर पता कर लें कि बच्चे के द्वारा कोई गंभीर हरकत तो नहीं की जा चुकी है!
यह देखें कि बच्चा या बच्चे किसके साथ रहते हैं और उनका समूह किस तरह का है?

यदि बच्चा इंटरनेट या कम्प्यूटर पर बहुत ज्यादा समय बिता रहा है और जरूरत से ज्यादा सतर्क रहता है और किसी के आने पर चौंक जाता है।

यह जान लें कि इंटरनेट पर वह किस तरह की सामग्री का उपयोग कर रहा है।

सतर्कता और सजगता

बेहतर होगा कि बच्चों के स्कूल के प्रबंधन और अपने आस-पड़ौस में इंटरनेट के उपयोग, इससे जुड़े शोषण और संभावित परिस्थितियों के बारे में चर्चा करते रहें।

कई स्रोतों से ऐसी सामग्री का प्रसारण और प्रसार होता है, जो बच्चों का अश्लील होती है या बच्चों को गरिमा के साथ प्रस्तुत नहीं करती हैं। टेलीविजन और अखबारों-पत्रिकाओं के विज्ञापनों में भी कई बार बच्चों का अपमानजनक प्रस्तुतिकरण होता है।

भारत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत और मीडिया तंत्र के तहत ऐसी मानक संस्थाएं बनी हुई हैं, जिन्हें इस तरह की सामग्री से अवगत कराया जाना चाहिए।
उन्हें बाध्य किया जाना चाहिए कि इन पर रोक लगाएं।

क्या बाल संरक्षण के लिए मौजूद व्यवस्थाएं सूचना तकनीक और इंटरनेट के माध्यम से होने वाले बच्चों के शोषण के मामले में सजग और कार्यवाही के लिए तैयार हैं?

आप पायेंगे कि अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित होते हैं कि रोमांचक या अश्लील बातें करने के लिए इन खास फोन नम्बरों पर संपर्क करें। एक सजग नागरिक के रूप में हमें इनका विरोध करना चाहिए। इस तरह के विज्ञापन केवल महिलाओं और बच्चों के शोषण के माध्यम होते हैं।

इस तरह के मामलों में पुलिस और बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, पुलिस, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, चाइल्डलाइन, शिक्षक, हॉस्टल वार्डन तथा बच्चों के हकों के लिये कार्यरत संगठनों/व्यक्तियों को इस विषय पर उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है।

विद्यार्थियों को शासकीय योजनाओं के तहत मोबाइल/टेबलेट्स/लेपटाप दिये जाने के दौरान उन्हें इनके यथोचित उपयोग हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये ताकि इनके दुरुपयोग की आशंका को कम किया जा सके।

इंटरनेट का बच्चों द्वारा उपयोग और पालकों की जिम्मेदारी

बच्चों द्वारा बेरोक-टोक इंटरनेट का इस्तेमाल पालकों के लिए चिंतनीय है। पालकों को अपने बच्चों को इंटरनेट का सावधानी से इस्तेमाल सिखाना चाहिए। पालकों को भी इंटरनेट के बारे में बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि उनके बच्चे इंस्टेंट मैसेज यानी व्हाट्सएप, वेब पेज, या फिर सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं?

इंटरनेट सेवा उपलब्ध करानेवाली कंपनियां कई ऐसे सॉफ्टवेयर की पेशकश करती हैं, जिसकी बदौलत अवांछित वेबसाइट को ब्लॉक किया जा सकता है। कुछ सॉफ्टवेयर गलत किस्म के संदेश या तस्वीरों को आपके कम्प्यूटर और इंटरनेट खाते पर आने से रोकते हैं। वे लोगों को खतरनाक वेबसाइटों पर जाने से भी रोकते हैं। कुछ कम्प्यूटर प्रोग्राम ऐसे हैं, जो बच्चों को अपनी निजी जानकारी, जैसे – नाम और पता देने से रोकते हैं।

अगर कम्प्यूटर घर की खुली जगह में रखा जाए, तो अच्छा होगा। इससे माता-पिता अपने बच्चों पर नज़र रख पाएंगे कि वे इंटरनेट पर क्या कर रहे हैं? वे बच्चों को खतरनाक साइट्स पर जाने से भी रोक पाएंगे। बच्चों द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल का समय तय करना चाहिए। उन्हें बताने की जरूरत होती है कि वे किस तरह की वेबसाइट पर जाएं। कुछ नियम अपने लिए भी बनाएं, ताकि बच्चे भी नियम का पालन कर पाएं। पालकों को अपने बच्चों के इंटरनेट अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए। समय-समय पर वेब सर्च हिस्ट्री भी देखना चाहिए कि वे किन वेबसाइट्स पर गए हैं। इंटरनेट के खतरों से अपने बच्चों की हिफाजत करने के लिए नजर रखने से ज्यादा जरूरी है कि उनके साथ इंटरनेट इस्तेमाल के सही तरीके को लेकर संवाद करना चाहिए।

बच्चों द्वारा इंटरनेट का उपयोग

ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन (जीएसएमए) मोबाइल ऑपरेटर्स का अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन है। इसने

2012 में बच्चों द्वारा मोबाइल के उपयोग पर एक अध्ययन किया था। उसमें कई सारी पहलुओं को लिया गया था। अध्ययन में भारत, जापान, मिस्र, इंडोनेशिया और चिली के 4500 बच्चे एवं उनके अभिभावकों को शामिल किया गया था।

अध्ययन में पाया गया कि 8 से 18 साल के 65 फीसदी बच्चे मोबाइल का उपयोग करते हैं। 20 फीसदी के पास स्मार्ट फोन हैं। भारत में बच्चों द्वारा मोबाइल उपयोग का औसत उम्र 15 साल है। शुरू में बच्चे कॉल करते हैं, लेकिन बाद में वे मैसेज ज्यादा भेजते हैं। भारत में 99 फीसदी बच्चे फोन कैमरा का उपयोग करते हैं। 60 फीसदी बच्चे मोबाइल से गाना सुनते हैं। मोबाइल के माध्यम से 54 फीसदी बच्चे इंटरनेट का उपयोग करते हैं। जिन बच्चों के पास स्मार्ट फोन हैं, उनमें से 87 फीसदी इंटरनेट उपयोग करते हैं। भारत में इंटरनेट उपयोग करने वाले 50 फीसदी बच्चे सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग करते हैं। इसमें बालिकाओं का प्रतिशत थोड़ा कम है। 70 फीसदी माता-पिता को बच्चों द्वारा अनुचित साइट देखने की चिंता रहती है। भारत में 46 फीसदी पालकों ने कुछ पारिवारिक नियम बनाए हैं। 45 फीसदी बच्चों ने अपने पब्लिक प्रोफाइल बनाए हैं और 70 फीसदी नए दोस्तों के साथ बातचीत शुरू कर देते हैं। अध्ययन में पाया गया है कि मोबाइल फोन के साथ बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

उक्त अध्ययन का साफ अर्थ यह है कि मोबाइल बच्चों के जीवन का हिस्सा बन चुका है और इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। साइट्स के माध्यम से सामाजिक जुड़ाव और पढ़ाई के लिए इंटरनेट का उपयोग उनके बीच बढ़ता जा रहा है। अब जब बाजार में लगभग स्मार्ट फोन ही मौजूद हैं, और सस्ते इंटरनेट डाटा प्लान उपलब्ध हैं, तब बच्चों द्वारा इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाता है।

इंटरनेट तक बच्चों की पहुंच और उनके द्वारा उपयोग के कारण बच्चों के शोषण संबंधी अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। नेशनल अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि सायबर अपराध यानी इंटरनेट के उपयोग से होने वाले अपराधों में तेजी से इजाफा हुआ है। इसमें बच्चों के शोषण और उनके साथ अश्लीलता के अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। एक ओर बच्चों में इंटरनेट का उपयोग बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी ओर उनमें अपरिवक्ता और नासमझी के कारण अपराधियों के गिरफ्त में फंस जाने या अपराध करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे कई मामले आए हैं, जिनमें बच्चों को ब्लैकमेल किया गया है और उस स्थिति के कारण बच्चों ने आत्महत्या कर ली हैं। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अभी देश में कोई वैज्ञानिक तरीके से एकत्र किया गया आंकड़ा नहीं है, जिससे पता चल सके कि देश में अलग-अलग जगहों पर कितने बच्चे इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं और इंटरनेट के कारण कितने बच्चों का शोषण हो रहा है या फिर इंटरनेट के माध्यम से अश्लील सामग्रियों के संपर्क में बच्चे कब और किस तरह से आ जाते हैं।

फिर भी कुछ आंकड़े यह बताते हैं कि इंटरनेट उपयोग करने वाला हर चौथा बच्चा किसी न किसी रूप में सायबर अपराधियों का शिकार बन जाता है। 47 फीसदी बच्चों को अश्लील सामग्री परेशान करता है। 53 फीसदी भारतीय किशोर गलती से अश्लील सामग्री के संपर्क में आ जाते हैं। 35 फीसदी किशोर जानबूझ

कर आपत्तिजनक सामग्री ऑनलाइन देखते हैं। इंटरनेट उपयोग करने वाले 20 फीसदी किशोर रोजाना ऑनलाइन अश्लील सामग्री देखते हैं।

चूंकि बहुत सारी अश्लील सामग्री को इस तरह से पेश किया जाता है कि सामान्य जरूरत की सामग्रियों के लिए वेबसाइट विजिट करने के दरम्यान विज्ञापन या टेक्स्ट या फोटो के जरिए उसके संपर्क में आने का खतरा रहता है। ऐसे में बहुत सोच-समझकर क्लिक का बटन दबाना पड़ता है, लेकिन बच्चे या किशोरों में यह संयम कम होता है और उत्सुकता ज्यादा होती है। मुंबई में स्कूल जाने वाले बच्चों पर एक अध्ययन में यह भी पाया गया है कि बच्चों में इंटरनेट का एडिक्शन बढ़ रहा है। यह एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक बीमारी की ओर धकेल रहा है। ऐसे में जरूरी है कि अतिरिक्त सावधानियां रखकर बच्चों को साइबर अपराध का शिकार होने से बचाया जा सकता है और उनके अधिकारों की रक्षा की जा सकती है।

किशोरवय, उनका मित्र समूह और इंटरनेट

जब हम बच्चों के बारे में बात करते हों, तब उनमें सबसे संवेदनशील उम्र होती है 10 साल से 16 या 17 साल तक, इसे किशोरावस्था कहा जाता है और यहीं से युवावस्था की शुरुआत भी होती है। इस उम्र में वे नयी बातों और व्यवहार का अनुभव करना चाहते हैं। वे जोखिम उठाने को तैयार होते हैं। आज के समय में जबकि इंटरनेट हम सबके व्यवहार को बहुत गहरे तक प्रभावित करता है, इंटरनेट उनके जोखिम उठाने की प्रवृत्ति को और बढ़ा देता है। इस उम्र में गहरे शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। ऐसे में इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली सामग्री, ज्यादातर ऐसी सामग्री जिसके बारे में हमारे समाज में बहुत खुलकर बातें नहीं होती हैं, बहुत गहरा असर दिखाती हैं। इंटरनेट ने अश्लील सामग्री या पोर्न सामग्री तक युवाओं-किशोरों की पहुंच को आसान बनाया है।

जरा गौर से देखेंगे तो हम पायेंगे कि किशोरवय अपने समान उम्र के लोगों का एक समूह बना कर रहते हैं। यह समझना चाहिए कि उनके मित्र समूह में कौन है? उनका व्यवहार किस तरह का है? यह देखा जा रहा है कि किशोरवय व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ समूह में रहता है और रोमांच, मजे, बहादुरी के प्रदर्शन या आनंद की चाह में इंटरनेट का नकारात्मक इस्तेमाल करने लगता है।

फर्जी अकाउंट

अगर कोई आदमी फर्जी पहचान के माध्यम से किसी वेबसाइट पर अकाउंट खोलता है या फिर किसी दूसरे के पहचान का इस्तेमाल करके अकाउंट खोलता है या फिर फर्जी पहचान बनाता है, तो वह सूचना तकनीक कानून की धारा 66 सी के तहत अपराध है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल तक कैद की सजा दी जाती है।

हैकिंग

किसी कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या व्यवस्था या नेटवर्क में उसके उपयोगकर्ता या मालिक की अनुमति के बिना घुसपैठ करना और उसके आंकड़ों से छेड़छाड़ करना हैकिंग कहलाता है। हैकिंग उस व्यवस्था या उपकरण में सीधे दखल देकर भी किया जा सकता है या फिर इंटरनेट या रिमोट के जरिए भी हो सकता है। हैकिंग के दौरान उस व्यवस्था या उपकरण को नुकसान नहीं पहुंचा हो, तो भी वह अपराध है।

ऐसे मामलों में सूचना तकनीक (संशोधन) कानून 2008 की धारा 43 (ए), सूचना तकनीक कानून की धारा 66, भारतीय दंड संहिता की धारा 379 और 406 के तहत अपराध दर्ज किया जाता है और अपराध साबित होने पर तीन साल तक की जेल या पांच लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।

आंकड़ों-सूचनाओं की चोरी

किसी व्यक्ति, संस्थान या संगठन आदि के निजी, गोपनीय आंकड़ों या सूचनाओं को इंटरनेट के माध्यम से चोरी करना या नकल करना सायबर अपराध है। अगर किसी संस्थान या संगठन के अंदरूनी आंकड़ों तक किसी की पहुंच है, लेकिन बिना अधिकृत अनुमति के उसका उपयोग अपराध होता है। ऐसे मामलों में सूचना तकनीक (संशोधन) कानून 2008 की धारा 43 (बी), धारा 66 (ई), 67 (सी), भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 405, 420 और कॉपीराइट कानून के तहत केस होता है। अपराध साबित होने तीन साल तक की जेल या दो लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है।

वायरस, स्पाईवेयर फैलाना

हैकिंग, डाउनलोड, कंपनियों के नेटवर्क, वाई-फाई कनेक्शन और असुरक्षित ड्राइव, सीडी के जरिए अक्सर कम्प्यूटर में वायरस और स्पाईवेयर पहुंच जाते हैं। वायरस बनाने वाले अपराधियों की पूरी एक इंडस्ट्री है, जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती रही है। लेकिन आम आदमी की लापरवाही से किसी के सिस्टम में कोई खतरनाक वायरस पहुंच जाए और बड़ा नुकसान हो जाए, तो वह भी दोषी होता है।

ऐसे मामलों में सूचना तकनीक (संशोधन) कानून 2008 की धारा 43 (सी), धारा 66, भारतीय दंड संहिता की धारा 268 और देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के लिए फैलाए गए वायरस पर सायबर आतंकवाद से

जुड़ी धारा 66 (एफ) भी लगाई जाती है। अपराध साबित होने पर साइबर आतंकवाद से जुड़े मामलों में उम्र कैद और अन्य मामलों में तीन साल तक की जेल या जुर्माना किया जा सकता है।

पहचान की चोरी

किसी दूसरे आदमी की पहचान से जुड़े आंकड़े और गुप्त सूचनाओं का ऑनलाइन इस्तेमाल करना भी सायबर अपराध है। यदि कोई आदमी दूसरों के क्रेडिट कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर, डिजिटल पहचान कार्ड, ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आदि का इस्तेमाल करके शॉपिंग या रुपए चोरी करता है, तो वह सायबर अपराध होगा। इस मामले में सूचना तकनीक (संशोधन) एक्ट 2008 की धारा 43, 66 (सी), भारतीय दंड संहिता की धारा 419 लगाया जाता है। अपराध साबित होने पर तीन साल तक की जेल या एक लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है।

ईमेल स्पूफिंग और फ्रॉड

ईमेल के इनबॉक्स या स्पैम बॉक्स में कई ऐसे मेल आते हैं, जिसमें इनाम मिलना, लॉटरी लगना या कोई अन्य लालच दिए गए रहते हैं। ये मेल किसी दूसरे आदमी के ईमेल या फर्जी ईमेल पहचान के जरिए किए जाते हैं। ऐसा करना ईमेल स्पूफिंग कहलाता है और यह साइबर अपराध है। हैंकिग, फिशिंग, स्पैम और वायरस, स्पाईवेयर फैलाने के लिए इस तरह के फर्जी ईमेल का इस्तेमाल अधिक होता है। इसमें बैंक खाता नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, ई-कॉमर्स साइट का पासवर्ड वगैरह मांगकर नुकसान पहुंचाया जाता है।

ऐसे मामलों में सूचना तकनीक कानून 2000 की धारा 77 बी, सूचना तकनीक (संशोधन) कानून 2008 की धारा 66 डी, भारतीय दंड संहिता की धारा 417, 419, 420 और 465 लगाए जाने का प्रावधान है। अपराध साबित होने पर तीन साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है।

पोर्नोग्राफी

इंटरनेट के माध्यम से अश्लीलता यानी पोर्नोग्राफी एक बड़ा कारोबार बन गई है। इसमें अश्लील फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो और सामग्री आती है। नग्न या अश्लील वीडियो, ऑडियो, चित्र, लिखित संदेश तैयार करने वाले या ऐसा एमएमएस बनाने वाले या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से इन्हें दूसरों तक पहुंचाने वाले और किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ इसे भेजने वाले लोग इस अपराध के दायरे में आते हैं।

इसके तहत आने वाले मामलों में सूचना तकनीक (संशोधन) कानून 2008 की धारा 67 (ए), भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत अपराध दर्ज किया जाता है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पहली गलती पर पांच साल तक की जेल या दस लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। लेकिन दूसरी बार गलती करने पर जेल की सजा सात साल तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन किसी कानून के तहत पोर्नोग्राफी देखना, पढ़ना या सुनना अवैध नहीं माना जाता, जिसके कारण बच्चों का इस तरह

सामग्रियों के संपर्क में आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

चाइल्ड पोर्नोग्राफी-बच्चों का यौनिक-अश्लील और कामोद्दीपक प्रदर्शन

इंटरनेट के माध्यम से अश्लीलता यानी पोर्नोग्राफी में यदि बच्चे का इस्तेमाल हो, जिसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहा जाता है। इसे लेकर कानून ज्यादा सख्त है। बच्चों को शामिल कर नग्न या अश्लील वीडियो, ऑडियो, चित्र, लिखित संदेश तैयार करने वाले या ऐसा एमएमएस बनाने वाले या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से इन्हें दूसरों तक पहुंचाने वाले और किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ इसे भेजने वाले लोग इस अपराध के दायरे में आते हैं। इसके साथ ही ऐसी अश्लील सामग्री जिसमें बच्चे को शामिल किया गया है, उसे देखना, सुनना या पढ़ना या स्टोर करना भी अपराध माना जाता है।

बच्चों को बहला-फुसलाकर ऑनलाइन संबंधों के लिए तैयार करना, फिर उनके साथ यौन संबंध बनाना या बच्चों से जुड़ी यौन गतिविधियों को रिकॉर्ड करना, एमएमएस बनाना चाइल्ड पोर्नोग्राफी है और यह अपराध है। इसमें बच्चे के लिए 18 साल तक की उम्र को माना गया है।

इस तरह के मामलों में सूचना तकनीक (संशोधन) कानून 2009 की धारा 67 (बी) की विभिन्न उप धाराओं, भारतीय दंड संहिता की धाराएं 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के तहत सजा दी जाती है। पहली बार अपराध साबित होने पर पांच साल की जेल या दस लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। लेकिन दूसरी बार अपराध करने पर सात साल तक की जेल या दस लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है।

विशेष बिंदु

वैश्विक सन्दर्भ में यह माना जाने लगा है कि बच्चों के यौनिक-अश्लील और कामोद्दीपक प्रदर्शन का जोड़ ऐसे व्यक्तियों से है, जो कानूनी उम्र के अनुसार बच्चों की श्रेणी में आते हैं और यौन सम्बन्ध या यौनिक या शारीरिक सम्बन्ध बनाने-प्रदर्शन के लिये अपनी सहमति नहीं दे सकते हैं। यह माना गया है कि किसी भी स्थिति में बच्चों का ऐसा प्रदर्शन उनकी सहमति से नहीं किया जा सकता है।

अब बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि किसी वास्तविक बच्चे का चित्र लिया गया है या वीडियो बनाया गया है, उसे ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी माना जायेगा। अब आभासी चित्रों या वीडियो या कार्टून चलचित्र के जरिये भी बच्चों का का यौनिक-अश्लील और कामोद्दीपक प्रदर्शन 'बच्चों के हकों के खिलाफ' माना जाता है। बहरहाल अभी कानूनों में इसके बारे में स्पष्ट व्याख्या नहीं है।

बच्चों और महिलाओं को तंग करना

सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों, ईमेल, चैट आदि के जरिए बच्चों या महिलाओं को तंग करना, अश्लीलता करना या धमकी भरा संदेश भेजना, बदनाम करना सायबर अपराध के दायरे में आता है। ऐसे मामलों में सूचना तकनीक (संशोधन) कानून 2009 की धारा 66 (ए) के तहत अपराध दर्ज किया जाता है और अपराध साबित होने पर तीन साल तक की जेल या जुर्माना किया जाता है।

इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग का मतलब

शायद इंटरनेट के उपयोग को अभी रोका नहीं जा सकता है। मौजूदा माहौल में इंटरनेट बच्चों के लिए एक खतरा भी खड़ा कर रहा है। ऐसे में इंटरनेट के उपयोग के मामले में जिम्मेदार और संवेदनशील होने की जरूरत है। इसे केवल तकनीक मत मानिए, इसमें कहीं न कहीं घातक बीमारी, खतरनाक दानव भी छिपा बैठा है।

बेहतर होगा कि पालकों के रूप में, शिक्षक के रूप में, प्रशिक्षक के रूप में, दोस्त के रूप में और राज्य के प्रतिनिधि के रूप में हम जहाँ भी हैं और जिस भूमिका में भी हैं, हमें इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग और बच्चों के संरक्षण के लिए बेहद गंभीर भूमिका निभाने की जरूरत है।

चलिए कुछ सामान्य बिंदुओं से चर्चा शुरू करते हैं, अपने बच्चों से या सभी बच्चों से इन बिंदुओं पर संवाद कीजिये –

- निजी और व्यक्तिगत जानकारी देते समय सजग–सावधान रहें।
- बच्चों को बताईये कि जब आप इंटरनेट के किसी मंच का उपयोग करें तब अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम, घर के पते, ईमेल, मोबाइल नंबर, घर का फोन नंबर, निजी चित्र, घर के फोटो आदि को सार्वजनिक न करें। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर तो बिलकुल नहीं।
- अपने किसी भी ऑनलाइन मित्र को, जिसे आप निजी जीवन में न जानते हों, कोई भी व्यक्तिगत जानकारी मत दीजिए।
- इंटरनेट पर ऐसी कोई भी बात मत लिखिए या ऐसा कोई चित्र साझा मत कीजिये, जिसके बारे में आप चाहें कि आपके पालक या शिक्षक उन्हें न देखें।
- याद रखिये कि आपने एक बार जो जानकारी इंटरनेट पर साझा कर दी, उसे आप किसी भी सूरत में वापस नहीं ले सकते हैं। यहाँ तक कि यदि आप उसे हटा भी देंगे (Delete) तब भी वह चित्र या जानकारी कहीं न कहीं बनी ही रहती है। पहले सोचिये फिर चित्र या बात साझा कीजिये।
- दूसरे व्यक्तियों या बच्चों से जुड़ी ऐसी बातें या चित्र या जानकारी भी साझा मत कीजिये, जिनका जुड़ाव सुरक्षा और सम्मान से है। मजाक में भी नहीं!
- अपने पालकों के अतिरिक किसी भी व्यक्ति से अपने इंटरनेट खातों के नाम, पासवर्ड या निजी जानकारी कभी भी साझा मत कीजिये।
- कभी भी अपना मोबाइल, लेपटॉप, आइपेड आदि असुरक्षित या अकेला मत छोड़िये।
- याद रखिये कि इंटरनेट पर कई व्यक्ति झूठी पहचान के साथ मौजूद रहते हैं। कई बार जिन्हें आप

इंटरनेट पर देखते हैं, वे कोई ओर हो सकते हैं। हर किसी के साथ अपनी परेशानी या निजी बात कहना शुरू मत कर दीजिए।

- ऐसे किसी व्यक्ति से मुलाकात या मेलजोल के लिए तैयार मत हो जाईये, जिसे आप इंटरनेट के अलावा किसी ओर कारण से न जानते–पहचानते हों।
- कई बार आपको आकर्षित करने वाले शीर्षक से ईमेल, दस्तावेज, अटेचमेंट या लिंक आएंगे। यदि भेजने वाला व्यक्ति अपरिचित है, तो कभी उन संदेशों को मत खोलिए। यह बहुत खतरनाक हो सकता है।
- यदि कभी भी आपके साथ कुछ अजीब सा घटता है या कोई बात आपको परेशान कर रही है, तब तत्काल अपने माता–पिता–पालकों से बात कीजिये।

इंटरनेट के उपयोग से जुड़ी पारिवारिक/सामाजिक तैयारी

कुछ जरूरी बातें तो बच्चों के लिए हैं, पर इनके अलावा भी हमें बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर कुछ तैयारी रखना होंगी। मसलन –

- इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के लिए हमारी कोशिशों के बारे में बच्चों से बात कीजिये और उन्हें बताईये कि हम उम पर निगरानी नहीं रख रहे हैं, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं।
- बच्चों के साथ संवाद का माहौल बनाना बहुत जरूरी है। जरा सोचिये कि क्या वे आपके साथ संवाद करने में सहज हैं? यदि वे आपसे कुछ छिपाते हैं, तो संवाद की ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है।
- अपने घर में कम्प्यूटर ऐसे स्थान पर रखें, जो ज्यादा खुला और दिखाई देने वाला हो। इसके बाद भी यह याद रखिये कि अपने बच्चों के पास इंटरनेट का उपयोग करने के इसके अलावा भी कई अन्य रास्ते हैं। वे अपने दोस्तों के साथ मोबाइल पर इंटरनेट का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। अत: इंटरनेट के हर तरह के उपयोग पर निगरानी रखना जरूरी है।
- अपने बच्चों से बात करें और इंटरनेट उपयोग के कुछ साझा नियम बनाएँ। जैसे उन्हें कौन सी वेबसाइट्स देखना जरूरी हैं? क्या वे सर्च इंजिन का उपयोग करेंगे? क्या वे सोशल नेटवर्किंग साइट्स से जुड़ रहे हैं? क्या वे खेलों के लिए वेबसाइट का उपयोग करेंगे? स्कूल के काम से सम्बंधित वेबसाइट्स के नाम शिक्षकों से लिए जाएंगे?
- कुछ नियम बनाएं और कम्प्यूटर के समेत सार्वजनिक रूप से रख दें।
- बहुत बेहतर होगा कि हम कम्प्यूटर में पेरेंटल कंट्रोल (कंटेंट फिल्टरिंग) सॉफ्टवेयर डाल कर रखें। इससे वेबसाइट के उपयोग, समय, सामग्री आदि पर नियंत्रण रहेगा।
- **खतरे को दो चिन्ह** – यदि बच्चे दिन में बहुत समय इंटरनेट पर गुजार रहे हैं तो यह खतरे के चिन्ह है। फिर यदि रात के समय इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, तो यह भी खतरे का चिन्ह है।

- खुद उदाहरण बनिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि माता-पिता या पालक के रूप में हम खुद बहुत सारा समय इंटरनेट पर खपा रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चों को सीख दे रहे हैं। यदि ऐसा है तो खतरा ज्यादा है!

यदि हमारा बच्चा सायबर बुलिंग से परेशान है तब?

- सायबर बुलिंग के बच्चे पर मानसिक-भावनात्मक असर पड़ते हैं। वह गुस्सा हो सकता है, उसे अपराध बोध हो सकता है, वह डरने लग सकता है, उसे अकेला रहने की इच्छा हो सकती है, वह अपने दोस्तों से या खेलों से दूर हो सकता है या संभव है कि वह खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे।
- घबराइए नहीं, बच्चे से बात कीजिये और उसके साथ घट रही घटनाओं को समझने की कोशिश कीजिये। यदि बच्चा घबराया हुआ है तो उसे समझाईये और बताईये कि आप उसके साथ हैं। और हम मिलकर इस स्थिति से निपट लेंगे। बच्चे को हमें यह अहसास करवाना होगा कि हम उसे अपराधी या दोषी नहीं मानते हैं।
- तत्काल उसके इंटरनेट के उपयोग पर प्रतिबन्ध मत लगाईये। उसे सावधान रहना सिखाईये और महत्वपूर्ण सूत्र दीजिए।
- कई बार ईमेल या फेसबुक के चैट-बाक्स में वार्तालाप के दौरान सायबर बुलिंग की शुरुआत होती है। इस चैट बाक्स में क्या संवाद हुआ, उसे सुरक्षित रखिये और उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए।
- बच्चे को समझाइये कि वह परेशान करने वाले वाले व्यक्ति (सायबर बुली) के संदेशों पर कोई प्रतिक्रिया न दें।
- अपनी तरफ से उस व्यक्ति (सायबर बुली) से संपर्क करने की कोशिश न करें।
- अपने बच्चे को समझाएं कि उसे जो भी परेशान करने वाले सन्देश, ईमेल, वीडियो या अटेचमेंट मिले हैं, उन्हें वह किसी भी स्थिति में किसी और को न भेजे।
- उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिये, जो बच्चे को प्रताड़ित या परेशान कर रहा है। क्या वह कोई जान-पहचान वाला व्यक्ति है या अनजाना है? क्या उसने अपने अकाउंट के साथ कोई वास्तविक चित्र लगाया हुआ है या नहीं? उसकी प्रोफाइल से क्या पता चल रहा है? या कोई अन्य जानकारी जमा कर लें।
- यदि कोई वीडियो या चित्र के जरिये परेशान किया जा रहा है, तो उसे भी संभाल कर रख लें।
- हमें सायबर सुरक्षा के लिए बनी व्यवस्था (सायबर पुलिस) या स्कूल में बनी व्यवस्था का सहारा लेना चाहिए। हो सकता है कि कुछ परिस्थितियों में हमें किसी बाल-परामर्शदाता की मदद भी लेना पड़े।

कहीं हमारा बच्चा खुद किसी को तो परेशान नहीं कर रहा?

ऐसा नहीं है कि बच्चे खुद ही सायबर बुलिंग के शिकार होते हैं! कई बार वे खुद किसी को परेशान कर रहे होते हैं यानी खुद सायबर बुली होते हैं। इस पहलू पर भी सजग होने की जरूरत होती है। खुद परेशान या प्रताड़ित होने और दूसरों को प्रताड़ित या परेशान करने वाला होने में कुछ चारित्रिक या सांकेतिक अंतर होते हैं। इन्हें समझने की कोशिश करते हैं –

जब बच्चा खुद परेशान हो रहा हो!	जब बच्चा किसी को परेशान कर रहा हो!
यदि बच्चे को कोई परेशानी है या वह असहज हो रहा हो तो, वह अचानक कम्प्यूटर या इंटरनेट का इस्तेमाल बंद कर सकता है।	ऐसे में बच्चा बहुत ज्यादा सजगता के साथ कम्प्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करता है।
जब कोई सन्देश, ईमेल या सन्देश आता है तो वह परेशान दिखाई देता है।	बार-बार स्क्रीन या इंटरनेट सेटिंग्स बदलता हो।
वह घर से बाहर जाने में डरता है या स्कूल जाने में उसकी रूचि अचानक कम हो जाती है।	किसी के आने पर चौंक जाता हो।
अचानक वह किसी खास व्यक्ति, दोस्त या सहपाठी से दूर रहने की कोशिश करता है या सामने पाकर असहज हो जाता है।	कम्प्यूटर और इंटरनेट का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहा हो और रात के समय भी सक्रिय हो।
कम्प्यूटर या इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय तनाव में रहता है या बार-बार गुस्सा होने लगता है।	इन्टरनेट का उपयोग करते समय असामान्य व्यवहार करता हो।
वह कम्प्यूटर या इंटरनेट पर किये जा रहे अपने काम के बारे में बात नहीं करना चाहता हो या साझा करने से बचता हो।	किसी सन्देश पर खुश होता हो या अजीब तरह के संतोष के भाव लाता हो।
स्कूल में उसका प्रदर्शन कमजोर हो रहा हो और पढ़ाई में उसकी रूचि लगातार कम हो रही हो।	किसी सन्देश पर यह इंटरनेट का उपयोग करते हुए अचानक बहुत तेज हँसने लगता हो।
खाने पीने या खेलने में रूचि भी कम हो रही हो।	एक साथ कई इंटरनेट खातों का इस्तेमाल करता हो।
	कभी कभी किसी अन्य व्यक्ति के नाम से खाते संचालित कर रहा हो।
	स्कूल में भी कभी किसी बच्चे या अन्य बच्चों को परेशान करता रहा हो।

असुरक्षा के घेरे में इंटरनेट - क्या करें, क्या न करें ?

स्मार्टफोन एवं कम्प्यूटर उपयोगकर्ताओं द्वारा इंटरनेट का उपयोग करना आज एक सामान्य बात हो गई है। हमने यह देखा कि इंटरनेट के माध्यम से आज रोजमर्रा की लगभग सारी जरूरतें पूरी की जा रही है। लेकिन इसका सबसे बड़ा खतरा है देश में ई–साक्षरता का अभाव। आज स्थिति यह है कि देश के आधे से ज्यादा इंटरनेट उपयोगकर्ता इंटरनेट के सुरक्षा घेरे से अवगत नहीं है और वे इंटरनेट का असुरक्षित उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में उनके साथ सायबर अपराध होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इस मामले में बच्चों की स्थिति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। बच्चे एवं किशोर इंटरनेट के खतरों से या तो अनजान होते हैं या फिर वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में वे सायबर अपराधियों के निशाने पर सबसे ज्यादा रहते हैं। इंटरनेट का बढ़ता उपयोग इसके खतरे को भी बढ़ाता जा रहा है। ''कैशलेस इकोनॉमी'' को बढ़ावा देने के कारण अब आर्थिक सायबर अपराध भी तेजी से बढ़े हैं।

पासवर्ड

इंटरनेट एक तरह से सूचनाओं के आदान–प्रदान, विश्लेषण और संवाद का तकनीकी मंच है। एक तरफ तो इसके कई फायदे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इससे कई नुकसान भी हो रहे हैं। हमें समझना होगा कि इंटरनेट का उपयोग गंभीरता, सजगता और जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। वास्तव में होता यह है कि इसके फायदों के मद्देनजर हम इंटरनेट की दुनिया में प्रवेश करते हैं, पर सच तो यह है कि इसके बाद इंटरनेट हमारी दुनिया में, हमारे जीवन के एक एक क्षण में प्रवेश करता जाता है।

इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के लिए आजकल बहुत कोशिशें हो रही है। हम इंटरनेट का कई मकसदों के लिए उपयोग करते हैं, मसलन –

किसी अखबार की वेबसाइट पर जाकर खबरें पढ़ना; अब कई अखबारों की वेबसाइट का मुफ्त में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इन्हें पढ़ने के लिए 'निर्धारित शुल्क' का भुगतान करना होता है।

ईमेल यानी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए; जैसे कि हम जानते हैं कि ईमेल के लिए हम किसी इंटरनेट मंच को चुनते हैं (मसलन याहू, जीमेल, हाटमेल आदि)। इनमें से किसी मंच पर हम अपना खाता खोलते हैं। जब हम ईमेल के लिए खाता खोलते हैं, तब हमसे हमारे बारे में कई जानकारियाँ मांगी जाती हैं। इसके साथ ही हम अपने ईमेल खाते की एक चाभी भी तय करते हैं। यह एक तरह का कोडवर्ड होता है और यह इसलिए बनाया जाता है ताकि अपने ईमेल खाते का उपयोग केवल हम ही कर सकें और कोई अन्य अनधिकृत व्यक्ति हमारा ईमेल खाता खोलकर उसका उपयोग–दुरुपयोग न कर सके।

ईमेल वास्तव में एक व्यक्ति का कानूनी संवाद खाता भी भी माना जा सकता है क्योंकि यदि उस खाते से कोई गलत प्रकृति का सन्देश, गैर कानूनी सन्देश या जानकारी प्रसारित होती है, तो कानूनी रूप से उस व्यक्ति को 'अपराधी' माना जा सकता है। अत: बहुत जरूरी है कि हम अपने ईमेल खाते की सुरक्षा का ख्याल रखें।

अपने विचार लिखने–अभिव्यक्ति करने के लिए वेबसाइट और ब्लॉगिंग; जैसे अखबार विचारों को व्यक्ति करने के लिए एक मंच होते हैं, वैसे ही इंटरनेट पर हम ब्लॉगिंग के जरिये अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। हम सभी के अनुभव हैं कि अखबार या पत्रिका या टेलीविजन पर अपन सबसे विचारों को स्थान नहीं मिल पाता है। कई बार स्थान का अभाव होता है तो अक्सर मीडिया के ये मंच हमारे विचारों को नजरअंदाज भी करते हैं। ऐसे में इंटरनेट ने हमें यह स्वतंत्रता और अधिकार दिया है कि हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए खुद का मंच खड़ा करें, हम अपनी वेबसाइट बनाएँ, अपना ब्लॉग बनाएँ और अपने लेख लिखें और उन्हें खुद प्रसारित भी करें।

जब हम खुद की वेबसाइट या ब्लॉग बनाते हैं, तब हम वेबसाइट पर एक खाता खोलते हैं और वहाँ भी अपना पासवर्ड डालते हैं ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। याद रखिये कि वेबसाइट या ब्लॉग पर लिखी गयी या उसके माध्यम से प्रसारित सामग्री के लिए वेबसाइट संचालक और लेखक कानूनी रूप से जिम्मेदार होता है।

इसका मतलब है कि सुरक्षा अनिवार्य है।

फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन; इंटरनेट पर ये सभी संवाद के खुले मंच हैं। कोई भी व्यक्ति इन मंचों पर अपना खाता खोल सकता है। जब फेसबुक, लिंक्ड इन या ट्विटर के खाते खोले जाते हैं, तब हमें अपने बारे में जानकारी देना होती है। इन खातों के सुरक्षित उपयोग के लिए भी हमें एक 'चाभी यानी पासवर्ड' तय करना होता है।

इंटरनेट मंचों के उपयोग के लिए पासवर्ड का मतलब होता है कोई ऐसा शब्द, संख्या या चिन्ह, जिसका उपयोग करके ही हम लाग-इन करके इस तरह के मंचों का इस्तेमाल कर सकता हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति फेसबुक के लिए अपना पासवर्ड तय करता है - central1357; जब भी यह पासवर्ड दर्ज किया जाएगा, तभी फेसबुक का वह खाता विशेष खुलेगा और उसका उपयोग किया जा सकेगा। अत: जरूरी है कि हम ऐसा पासवर्ड तय करें, जिसे कोई आसानी से तोड़ न सके या अंदाजे से पता करके हमारे खाते का उपयोग-दुरूपयोग न कर सके।

लॉग इन और लॉग आउट

हम जब भी इंटरनेट का उपयोग करते हैं, खासतौर पर ब्लागिंग, सोशल नेटवर्किंग या किसी भी तरह की वेबसाइट के उपयोग के लिए, तब हम अपने खाता नाम (यूजर नेम) और पासवर्ड दर्ज करके उस मंच या साइट तक पहुंचते हैं। इसे 'लॉग इन' करना कहते हैं। जब हम लॉग इन करते हैं तब वेबसाइट अक्सर यह पूछती है कि क्या आप चाहते हैं कि आपके पासवर्ड को यह साइट खुद याद रखे, ताकि अगली बार आप आसानी से वहाँ तक पहुंच सकें। ऐसे में हमें 'नहीं' या 'नेवर' का विकल्प चुनना चाहिए।

जब हम इन खातों का उपयोग पूरा कर लेते हैं, तब सीधे उस वेबसाइट या सोशल नेटवर्किंग मंच को बंद न करें। हमें उस खाते और वेबसाईट से 'लॉग-आउट' का विकल्प चुनना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो कोई भी अन्य व्यक्ति हमारे 'खाते' का उपयोग-दुरूपयोग कर सकता है। लॉग आउट करना अनिवार्यता है।

इंटरनेट का उपयोग करते वक्त होने वाली सामान्य गलतियां निम्न हैं -

कमजोर और पुराना पासवर्ड

हमें अधिकांश वेबसाइट के उपयोग के लिए अकाउंट बनाना होता है। सोशल मीडिया, मैसेंजर, बैंकिंग या अन्य वेबसाइट जहां हम कुछ भी गतिविधि करना चाहते हैं, उसके लिए अकाउंट बनाकर पासवर्ड डालना होता है। बहुत सारे वेबसाइट को बिना अकाउंट बनाए देखा जा सकता है, लेकिन वहां आप किसी भी तरह के लेन-देन या लिखने, फोटो डालने, कमेंट्स करने या अन्य कोई गतिविधि नहीं कर पाते। तो होता यह है कि जब हम किसी साइट पर अकाउंट बनाते हैं, तो उसके पासवर्ड को बहुत ही कमजोर रखते हैं और उसे हम

एक नियमित अंतराल पर बदलते भी नहीं है। ऐसा इसलिए करते हैं कि हम पासवर्ड को याद रख पाएं। यदि हम कई वेबसाइट पर अकाउंट बनाते हैं, तो उन सभी का पासवर्ड एक ही रखते हैं। यह बहुत ही खतरनाक है। इससे आपका अकाउंट हैक होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हैकिंग का अर्थ है – किसी सॉफ्टवेयर के जरिए किसी अनजाने कम्प्यूटर में घुसकर उसमें मौजूद जानकारियों को चुराना या उसमें वायरस छोड़कर नष्ट करना या फिर उसमें मौजूद फाइलों की जानकारियों में छेड़छाड़ करना। यदि बैंकिंग का अकाउंट हैक हो जाए, तो बैंक का खाता खाली होते देर नहीं लगेगी।

क्या करें

इसके लिए हमें एक मजबूत पासवर्ड बनाना चाहिए। अलग-अलग वेबासाइट के लिए अलग-अलग पासवर्ड बनाने चाहिए। मजबूत पासवर्ड बनाने के टिप्स कई सारे वेबसाइट, जैसे – पासवर्ड मैनेजर या सिक्योर पासवर्ड, पर दिए रहते हैं। बैंकिंग साइट खुद की पहल पर आपसे नियमित पासवर्ड बदलवाती रहती है। इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जहां वर्चुअल पासवर्ड की सुविधा यानी आपके कम्प्यूटर और इंटरनेटर खाते पर कीबोर्ड हो, तो उसके माध्यम से ही लॉगिन और पासवर्ड डालें। किसी वेबसाइट के हैक होने या उससे डाटा चोरी होने का समाचार मिले तो आपको तुरंत उस वेबसाइट के अपने अकाउंट का पासवर्ड बदल लेना चाहिए।

बच्चों का बचाव

बच्चों को पासवर्ड बनाने के तरीकें बताएं। उन्हें यह भी बताएं कि दोस्तों में या किसी अनजानी साइट को देखने के लिए अपने नियमित अकाउंट का लॉगिन नाम और पासवर्ड कभी नहीं डालें।

एंटी वायरस का उपयोग

एंटी वायरस अब मोबाइल के लिए भी आता है। यदि आपके कम्प्यूटर में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एंटी वायरस बहुत ही जरूरी है। लायनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर कभी-कभार ही वायरस का अटैक होता है। कम्प्यूटर में नवीनतम एंटी वायरस इंस्टॉल करवा लेना चाहिए। वायरस के कारण आपका सारा डाटा तहस-नहस हो सकता है।

बैंकिंग साइट के लिए सुरक्षा

वेब ब्राउसर के एड्रेस बार में हमें देखना चाहिए कि जिस बैंकिंग या अन्य वेबसाइट पर हम जा रहे हैं, उसकी शुरुआत "https" से हो रही है कि नहीं। यदि ऐसा है, तो वह वेबसाइट सुरक्षित है। यद्यपि अभी भी सारे

महत्वपूर्ण साइट इससे शुरू नहीं होते, जिसके कारण वहां विजिट करना हमेशा असुरक्षित ही रहता है। एड्रेस बार में बायीं ओर बना ताला हरे रंग का होता है, जो दर्शाता है कि यह सुरक्षित है। इसके साथ ही लॉगिन एवं पासवर्ड के लिए वर्चुअल कीबोर्ड का उपयोग करना चाहिए।

बच्चों का बचाव

बैंकिंग संबंधी जानकारी को बच्चों के साथ साझा नहीं करें। उन्हें अपना एटीएम उपयोग के लिए नहीं दें। यदि जरूरी हो, तो उनका अलग अकाउंट खोल दें और जरूरत के मुताबिक उसमें पैसा डाल दें या ट्रांसफर कर दें, जिससे बच्चे एटीएम के माध्यम से खुद के अकाउंट से जरूरत के मुताबिक पैसा निकाल सकें।

फिशिंग की गंभीर समस्या

फिशिंग यानी मछली मारना। एक कांटा या जाल लेकर नदी या तालाब में उसे फेंकना और किसी भी साइज या किसी भी प्रकार के मछली को उसमें फंसाना। यह शब्द बहुत ही सार्थक है, उन अपराधियों के लिए जो ऑनलाइन आर्थिक अपराध करते हैं। ऑनलाइन आर्थिक अपराध को ही फिशिंग कहते हैं। इसमें आर्थिक अपराध के लिए अपराधी मोबाइल कॉल, एसएमएस, ईमेल आदि का इस्तेमाल करते हैं और अपने जाल में लोगों को फंसाते हैं। यदि उनके झांसे में किसी भी तरह से आ गए, तो आपके साथ आर्थिक अपराध होना तय है।

बैंकिंग कंपनियां एवं बैंक बार-बार अपने ग्राहकों को आगाह कराते हैं कि वे या उनके प्रतिनिधि कभी भी ईमेल, एसएमएस या कॉल के माध्यम से बैंकिंग एवं व्यक्तिगत किसी भी तरह की गोपनीय जानकारी नहीं मांगते हैं। फिर भी इस तरह के कॉल के झांसे में आकर लोग अपना अकाउंट खाली करवा लेते हैं। ईमेल, एसएमएस या कॉल के माध्यम से मांगी गई कोई भी जानकारी हमें नहीं देना चाहिए। यदि किसी तरह की शंका हो या फिर जरूरत हो, तो अपने ब्रांच में जाकर इस संबंध में बात करना चाहिए।

सामान्यत: करोड़ों रुपए की लॉटरी लगने, मोबाइल नंबर चयनित होने पर प्राइज मिलने, करोड़पतियों द्वारा आपको करोड़ों रुपए गुप्त रूप से देने, रिश्तेदार या परिचित का विदेश में लुट जाने, एटीएम ब्लॉक हो जाने संबंधी ईमेल, एसएमएस या कॉल आते हैं। यदि आपने किसी तरह इनके झांसे या लालच में आकर पिन, पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड, जन्म तिथि, एटीएम नंबर में से कुछ भी इनको उपलब्ध करा दिया, तो आपका ठगी का शिकार होने से बचना मुश्किल है।

क्या करें

ऐसे ईमेल को खोलने से बचना चाहिए। ईमेल में दिए गए एड्रेस पर क्लिक नहीं करना चाहिए और न ही उसे क्लिक कर मेल भेजने वाले के वेबसाइट पर जाना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं, तो आपके ईमेल का लॉगिन एवं पासवर्ड हैकर के पास चला जाएगा। ऐसे एसएमएस का कोई जवाब नहीं देना चाहिए। कॉल को अनसुना कर देना चाहिए। चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना भी दबाव बनाए, आपको फोन काट देना चाहिए और जल्द ही बैंक जाकर इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए।

बच्चों का बचाव

बच्चों का फिशिंग के शिकार होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। उन्हें फिशिंग के बारे में जानकारी देना चाहिए। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि ऑनलाइन लॉटरी खुद-ब-खुद नहीं लगती और न ही दुनिया में कोई करोड़ों रुपए मुफ्त में देने के लिए बैठा है। एटीएम या बैंक संबंधी जानकारी के साथ-साथ अपनी व्यक्तिगत जानकारी भी किसी अनजाने ईमेल के रिप्लाई में नहीं भेजना चाहिए। अनजाने फोन पर भी व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा लगता है कि कुछ जानकारी साझा हो गई है, तो जल्द से जल्द वेबसाइट के पासवर्ड बदलने चाहिए। बैंकिंग संबंधी जानकारी लीक होते ही तुरंत बैंक जाकर लेन- देन पर रोक लगवाना चाहिए।

ईमेल में आया अनजाना लिंक

ईमेल के माध्यम से फिशिंग के लिए बहुत सारे अनजाने ईमेल आते हैं। अनजाने प्लक को यदि हमने ईमेल से ही सीधे क्लिक कर खोलने की गलती की, तो यह खतरनाक साबित होगा। ईमेल पर कई अलग-अलग वेबसाइट, फेसबुक, बैंक और अन्य ऑनलाइन सेवाओं से कई तरह के ईमेल आते हैं, लेकिन कई बार हैकर इनके नाम से मिलते-जुलते वेबसाइट बनाकर लाखों ईमेल हैकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए करते हैं। यदि हमने सीधे ईमेल से उन फर्जी वेबसाइट को खोल दिया, तो हैकर आसानी से हमारे लॉगिन एड्रेस और पासवर्ड चुरा सकते हैं। इसलिए लिंक खोलते समय सावधानी से देखना चाहिए और उसे वहां से कॉपी कर या पढ़कर दूसरे टैब या ब्राउसर में उसे खोलना चाहिए। लिंक को खोलने के बाद भी वेबसाइट का यूआरएल वेरीफाई कर लेना चाहिए।

अनजाने वेबसाइट का लालच

अनजाने वेबसाइट से मुफ्त सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करने से कम्प्यूटर में वायरस आने की

संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। इसके साथ ही इस तरह से आपका कम्प्यूटर या अकाउंट हैक हो सकता है। सॉफ्टवेयर का सही और परखे गए वेबसाइट से ही डाउनलोड करना चाहिए। इसके साथ डाउनलोड करने और इंस्टॉल करने के बाद एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर से उसे स्कैन कर लें।

बच्चों का बचाव

वीडियोगेम, गाना और वीडियो डाउनलोड करने के चक्कर में बच्चे अक्सर अविश्वासी वेबसाइट पर चले जाते हैं, इस तरह के वेबसाइट पर वायरस की भरमार होती है। यह बच्चे की निजता और डाटा दोनों के लिए खतरनाक है। ऐसे में बच्चे को इस बारे में जानकारी देकर उनका बचाव करना चाहिए। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के दरम्यान यदि बड़ों या जानकार का साथ हो, तो ज्यादा बेहतर है।

अकाउंट का लॉगआउट

हम अपने ईमेल, फेसबुक और अन्य कई वेब सेवाओं का प्रयोग करने के लिए लॉगिन करते हैं। यदि यह हमारा अपना कम्प्यूटर या मोबाइल है, तो ठीक है। लेकिन किसी अन्य के कम्प्यूटर या मोबाइल से इन सेवाओं का प्रयोग करने के बाद लॉगआउट नहीं करते हैं, तो यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इसकी वजह से आपके अकाउंट का कोई भी गलत उपयोग कर सकता है। इस तरह की किसी गलती हो जाने पर, यानी खाता खुले रह जाने पर, इंटरनेट खाते का दुरूपयोग किया जाता है और फिर बच्चों को परेशान किया जाता या धमकी दी जाती है। इसे इंटरनेट की दुनिया में साइबर बुलिंग कहते हैं।

क्या करें

जब भी आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन करें, लॉग आउट या साइन आउट (खाता बंद) जरूर करें। अक्सर कुछ साइट पासवर्ड याद रखने की मांग करते हैं, उन पर कभी ओके नहीं करें। ऐसा करने पर लॉग आउट या साइन आउट होने के बाद भी वेबसाइट खोलने पर आपका अकाउंट खुल जाएगा।

बच्चों का बचाव

बच्चों के लिए इसकी जानकारी एवं इसमें सावधानी बहुत ही जरूरी है। अक्सर सायबर कैफे में बच्चे बिना लॉग आउट किए ही निकल आते हैं, जो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसके साथ ही किसी अनजाने व्यक्ति के माध्यम से अपना अकाउंट नहीं खोलना चाहिए। यदि दूसरे के कम्प्यूटर में काम कर रहे हों और बिजली चली जाए, तो बिजली आने का इंतजार करना चाहिए और फिर अपना अकाउंट खोलकर लॉग आउट या साइन आउट करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर कम्प्यूटर की मेमोरी में पासवर्ड सेव रह जाता है। यह सॉफ्टवेयर की सेटिंग पर भी निर्भर करता है।

विज्ञापनों और वेबसाइट का लालच

इंटरनेट का उपयोग करते समय कई बार ऐसे विज्ञापन आते हैं जो आपको लेटेस्ट फिल्म, गाना, वीडियो आदि को मुफ्त देखने, खासकर अश्लील सामग्री मुफ्त देखने का झांसा देते हैं। ऐसे विज्ञापन ऑनलाइन ठगी करने के इरादे से ही बनाए जाते हैं। इनका शिकार बनना बहुत ही आसान होता है। ऐसे में इस तरह के विज्ञापनों और वेबसाइट पर कभी क्लिक नहीं करें। यदि आपने फेसबुक, जीमेल या अन्य महत्वपूर्ण वेबसाइट पर लॉगिन किया हुआ है, तो भूलकर भी ऐसे विज्ञापनों पर क्लिक नहीं करें।

यदि ऐसा करेंगे, तो आपके अकाउंट का हैक होने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। इसके साथ ही हैकर आपका पर्सनल डाटा और पासवर्ड भी चुरा लेंगे।

बच्चों का बचाव

इस तरह के झांसे में नहीं आने के लिए बच्चों को बेहद संवेदनशील तरीके से समझाने की जरूरत है। बाल उम्र एवं किशोर उम्र में इस तरह के लालच या झांसे में आ जाने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इसके साथ ही यदि बच्चे इस तरह के झांसे का शिकार हो जाते हैं, तो उनका मानसिक एवं यौन शोषण होने का खतरा भी बढ़ जाता है।

सूचनाओं एवं सामग्रियों को अपलोड करना

इंटरनेट के प्रयोग के दौरान दो प्रोटोकॉल http और https का उपयोग सुरक्षित वेबसाइट के लिए किया जाता है। वेबसाइट का एड्रेस बार इंटरनेट प्रोटोकॉल से ही शुरू होता है। https के माध्यम से भेजी गई सूचनाएं और डाटा को अपलोड करते समय किसी अन्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई अन्य नहीं पढ़ सकता। अधिकांश महत्वपूर्ण वेबसाइट और बैंकिंग वेबसाइट इस प्रोटोकॉल का ही उपयोग करते हैं। इसलिए हमेशा किसी भी वेबसाइट पर क्रेडिट कार्ड, लॉगिन-पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी डालते समय देख लें की ब्राउज़र में वेबसाइट की यूआरएल https से शुरू हो रही है और यूआरएल से पहले हरे रंग के ताले का निशान है। इसके साथ ही कोशिश यह होनी चाहिए कि इंटरनेट, खासतौर से सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी कम से कम साझा की जाए। सोशल मीडिया में अपने व्यक्तिगत जीवन की संवेदनशील जानकारियां और फोटो पोस्ट करना सही नहीं होता है, क्योंकि हजारों हैकर्स और सायबर अपराधी इनका गलत उपयोग कर सकते हैं। कुछ व्यक्तिगत फोटो या अन्य सामग्री शेयर करते समय भी उनको पब्लिक की बजाय परिवार और नजदीकी मित्रों के साथ शेयर करें।

बच्चों का बचाव

सोशल मीडिया में बच्चे एवं किशोर इन दिनों ज्यादा एक्टिव हैं। उन्हें इस बात की समझ नहीं होती कि सोशल मीडिया या अन्य वेबसाइट पर किस हद तक निजी जानकारी या सामग्री को शेयर करना चाहिए। बच्चों को इस बारे में सही जानकारी देना बहुत ही जरूरी है। खासतौर से व्यक्तिगत फोटो और वीडियो को शेयर करने से पहले उसके बारे में सोचना चाहिए कि क्या वह शेयर करने लायक है। सामान्य तौर पर व्यक्तिगत सामग्रियों को अपलोड करने से बचना चाहिए। किसी वेबसाइट पर यदि कोई व्यक्तिगत जानकारी दे रहे हैं, तो उसकी पॉलिसी को पढ़ लेना चाहिए। नियम एवं शर्तों को बिना पढ़े, कभी भी व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करना चाहिए।

डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड का उपयोग

कैशलेश इकोनॉमी को बढ़ावा दिए जाने के बाद डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। एक ओर देश में अभी भी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की समझ को बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है, तो दूसरी ओर देश अभी भी लाखों डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड धारक हैं, जिन्हें सही तरीके से कार्ड का उपयोग करने नहीं आता। जो लोग लगातार डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, वे भी लापरवाह होते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड का पिन

लिखकर उसके साथ ही नहीं रखना चाहिए। उसका पिन मौखिक रूप से याद रखना चाहिए। डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड पर लिखी जानकारी किसी के साथ फोन पर या बोलकर साझा नहीं करना चाहिए। एटीएम में अन्य किसी जगह डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते समय किसी अनजाने व्यक्ति का सहयोग नहीं लेना चाहिए। बच्चों को अपना डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड नहीं देना चाहिए।

खरीददारी करते समय या अन्य कहीं भी पेमेंट के लिए कार्ड को मशीन में डालते समय देखना चाहिए कि उसका पिन कोई देख नहीं पाए। साथ ही यदि किसी कारण डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड से भुगतान एक बार में नहीं हो पाए, तो तुरंत दोबारा कोशिश नहीं करना चाहिए। कुछ देर रुक कर या फिर बड़ा भुगतान है, तो बैंक से कंफर्म करने के बाद कि अकाउंट से पैसा नहीं कटा है, के बाद ही दोबारा भुगतान की कोशिश करनी चाहिए। बैंक में मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरह के लेन-देन संबंधी जानकारी का एसएमएस तुरंत मोबाइल पर मिल जाए। डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड से भुगतान की रसीद भी संभाल कर रखनी चाहिए। यदि किसी कारण से डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड के उपयोग में गड़बड़ी होती है, तो संबंधितों को फोन से और लिखित में आवेदन देना चाहिए। एटीएम से पैसा नहीं निकलता है, तो उस एटीएम वाले बैंक शाखा में जाकर लिखित शिकायत करनी चाहिए। पैसा कट जाने और पेमेंट फेल हो जाने पर संबंधित कंपनी से संपर्क करना चाहिए।

ऑनलाइन लेन-देन

ऑनलाइन लेन-देन ई-बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जाता है। इस लेनदेन में ज्यादा सावधानियां रखने की जरूरत है। किसी भी अविश्वासी वेबसाइट के माध्यम से कोई भुगतान नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इंटरनेट की स्पीड धीमी हो, तो ऑनलाइन लेन-देन नहीं करना चाहिए। अकाउंट से पैसा कट जाने के बाद कई बार पेमेंट फेल हो जाती है। ऐसे में संबंधित वेबसाइट एवं कंपनी से संपर्क करना चाहिए। पेमेंट फेल होने के तुरंत बाद दोबारा पेमेंट की प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए। ऑनलाइन लेनदेन से बच्चों को दूर रखना चाहिए। पासवर्ड नियमित अंतराल पर बदलते रहना चाहिए। लेन-देन की सारी ई-रसीदें सेव करके या प्रिंट करके रखनी चाहिए।

गलत और भ्रामक खबरें

सोशल मीडिया या मैसेंजर के माध्यम से बहुत सारी गलत और भ्रामक खबरें अफवाह के रूप में या किसी खास मकसद से फैलाई जाती हैं। ऐसे संदेश, ऑडियो, वीडियो बहुत ही बारीकी से तैयार किए जाते हैं, जिससे कि लगे कि वह असली है। कई ऐसे मैसेज होते हैं, जो बहुत तेजी से इंटरनेट के माध्यम से व्यापक समाज तक फैल जाते हैं, लेकिन जब जांच की जाती हैं, तो वह झूठी साबित होती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि संदेशों को कॉपी पेस्ट न करें, तो ज्यादा बेहतर है। यदि वह संदेश आपको ज्यादा पसंद आए या फिर देखने में जरूरी लगे, तो उसकी जांच-परख करने के बाद ही आगे भेजें, साझा करें या फिर पसंद करें।

बच्चों का बचाव

इस तरह के संदेशों के गिरफ्त में बच्चों के आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। यदि संदेश गलत हो, शांति भंग करने वाला हो, सुरक्षा को खतरे में डालने वाला हो, अश्लील हो, तो यह कानून आपराधिक होगा। ऐसे संदेश को फैलाने या भेजने की नासमझी में बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए बेहतर यह है कि संदेशों को कॉपी पेस्ट कर साझा करने से बच्चों को रोकें और उन्हें सोशल मीडिया का उपयोग कम से कम करने के लिए प्रेरित करें।

सोशल नेटवर्किंग की/से सुरक्षा

सोशल मीडिया में अपने व्यक्तिगत जीवन की संवेदनशील जानकारियां और फोटो पोस्ट करने से बचना चाहिए। सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारियों के आधार पर सायबर अपराधी सोशल नेटवर्किंग के जरिए संपर्क साधते हैं। वे लगातार इसके माध्यम से दोस्त बनने का प्रयास करते हैं। यदि आप उनके झांसे में आ गए, तो वह आपके साथ अपराध करने का प्रयास करेंगे। इसलिए सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से अनजान, संदेहास्पद लोगों के साथ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएं।

बच्चों का बचाव

सोशल मीडिया में बच्चे एवं किशोर इन दिनों ज्यादा एक्टिव हैं। उन्हें इस बात की समझ नहीं होती कि सोशल मीडिया या अन्य वेबसाइट पर किस हद तक निजी जानकारी या सामग्री को शेयर करना चाहिए। इसके कारण बच्चों की पूरी जानकारी ऑनलाइन रहती है और उनकी निजता एवं अधिकार पर लगातार खतरा बना रहता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अधिकांश सायबर अपराधी गलत जानकारियों वाला अकाउंट बनाए रहते हैं। वे अपनी पहचान छिपाकर सोशल नेटवर्किंग पर बच्चों, किशोरियों एवं महिलाओं को ज्यादा टारगेट करते हैं। ज्यादा निजी जानकारी साझा करने वाले और बिना सोचे-समझे दोस्ती करने वाले लोग इनकी गिरफ्त में आ जाते हैं। इसके बाद बच्चे मानसिक एवं यौन शोषण का शिकार हो जाते हैं। कई बार वे खुद बहकावे में आकर सायबर अपराध कर देते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि बच्चों को सोशल नेटवर्किंग अकाउंट के जवाबदेह उपयोग के बारे में बताया जाए और उनकी निजता को महत्व देते हुए उनके अकाउंट पर नजर रखी जाए। इसके साथ ही यदि सोशल नेटवर्किंग के उपयोग के कारण बच्चों में अचानक किसी तरह का बदलाव दिखाई दे, तो विश्वास में लेकर उसके साथ संवाद करना चाहिए, ताकि उसके अधिकार को सुनिश्चित करते हुए संभावित शोषण से बचाया जा सके।

सूचना तकनीक (डिजिटल सेवाएं देने वाले) समूहों की जिम्मेदारी

इंटरनेट और सूचना तकनीक का महिलाओं और बच्चों के शोषण में उपयोग न हो, इसके लिए सूचना तकनीक समूहों (जिनमें मोबाइल फोन कंपनियां, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, ऑनलाइन मित्रता की सेवाएं देने वाली कंपनियां, वित्तीय लेन-देन की सेवा देने वाली कंपनियां, गेमिंग यानी ऑनलाइन खेल सेवाएं देने वाली कंपनियां, साफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां, वेबसाइट बनाने वाली और संचालित करने वाली कंपनियां शामिल हैं) की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे ऐसे कदम उठायें, जिनसे बच्चों और महिलाओं के शोषण को रोका जा सके।

सबसे पहली जरूरत यह है कि इंटरनेट - डिजिटल तकनीक के उपयोग को भी बुनियादी मानव अधिकार के ताने बाने के सन्दर्भ में परिभाषित किये जाने की जरूरत है। एक तरफ तो यह सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण जरिया बना है, तो वहीं दूसरी तरफ धोखेबाजी, यौन शोषण, आर्थिक अपराधों और हिंसा वाले व्यवहारों को भी विस्तार प्रदान करता है। जब हम यह बहस करते हैं कि इंटरनेट-डिजिटल तकनीक के जरिये महिलाओं और बच्चों के शोषण को रोका जाना चाहिए। यह सरकार-कंपनियों और समाज की जिम्मेदारी है, तब हम सूचना तकनीक के जिम्मेदार उपयोग की वकालत कर रहे होते है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सूचना तकनीक महिलाओं, बच्चों और व्यापक मानव अधिकारों के हनन को बढ़ावा न दे या इसका जरिया न बने।

यह जरूरी है कि सभी सेवा प्रदाता यह मानें कि तकनीक और इंटरनेट के जरिये बच्चों और महिलाओं का शोषण कानूनी और सामाजिक आपराधिक गतिविधि है। इसे रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने और हर स्तर पर निगरानी की व्यवस्था बनाने की जरूरत है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं -

1. कानून लागू करने वाली एजेंसियों से सेवा प्रदाताओं-कंपनियों का समन्वय हो।
2. अपमानजनक, हिंसात्मक, नुकसानदायक और यौन शोषण को प्रोत्साहित करने वाली सामग्री को पहचानने और उसे वेबसाइट-मंच से तुरंत हटाने की प्रक्रिया तय करना।
3. जो लोग बच्चों, महिलाओं और समुदाय का अपमान करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनके इंटरनेट उपयोग को प्रतिबंधित करना और उन्हें कानूनी प्रक्रिया में लाना।
4. इंटरनेट-ऑनलाइन मंचों पर बच्चों और महिलाओं के शोषण के मामलों से सम्बंधित रिपोर्ट नियमित रूप से जारी करना और बताना कि उन मामलों पर क्या कार्यवाही की गयी?

5. फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्ड इन, सभी वेब ब्राउजर्स, व्हाट्स एप, स्काइप, ट्विटर और सभी वेबसाइट्स पर बच्चों और महिलाओं के शोषण-हिंसा से सम्बंधित सामग्री को रिपोर्ट करने के लिए बटन उपलब्ध करवाना।

6. उपयोग की शर्तें - जब कोई भी व्यक्ति इंटरनेट-ऑनलाइन मंच का इस्तेमाल करता है, तब उपभोगकर्ता या व्यक्ति उस मंच (फेसबुक, व्हाट्स एप, यूट्यूब, ट्विटर आदि) के द्वारा तय की गयी शर्तों को मानने के लिए बाध्य होता है, किन्तु व्यावहारिक सन्दर्भों में उन शर्तों (टर्म्स आफ यूज) का गंभीरता से पालन नहीं किया जाता है। अत: जरूरी है कि इंटरनेट कंपनियों को अपने हितों और लाभों से आगे बढ़कर यह सुनिश्चित करना होगा कि वे उपयोगिता की शर्तों में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा से सम्बंधित बिंदु शामिल करें और उपभोक्ताओं को इनके पालन के लिए बाध्य करें।

7. इंटरनेट के हर मंच-वेबसाइट पर नुकसानदायक, अश्लील, हिंसा को बढ़ाने वाली, अपमानजनक सामग्री को तत्काल आसानी से रिपोर्ट करने की जरूरी नीति होना चाहिए। सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं की यह जिम्मेदारी होना चाहिए कि वह हर मामले में गंभीरता से कार्यवाही करे। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर बच्चों और महिलाओं के शोषण को जायज न ठहराया जाए।

कुछ इंटरनेट सेवा प्रदाता इस दिशा में कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं। मसलन -

अ. यूट्यूब ने अपने जिम्मेदार मानकों (कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स) में उल्लेख किया है कि हम सुनिश्चित करते हैं कि उपभोक्ता यूट्यूब का उपयोग प्रताड़ना, अपमान या शोषण के डर के बिना कर सकते हैं। यदि कोई भी यूट्यूब सामग्री सीमा रेखा को लांघती है या जिसके बारे में उपभोक्ताओं के द्वारा रिपोर्ट की जाती है, उसकी जांच होती है और उसे यूट्यूब से हटा दिया जाता है। हमें इसके बारे में सार्वजनिक जागरूकता फैलाना चाहिए कि यूट्यूब सरीखे मंचों पर हम गलत सामग्री की रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं।

ब. अप्रैल 2015 में ट्विटर ने भी अपमानजनक और अश्लील संदेशों/सामग्री को रोकने और हटाने के लिए एक बटन (फीचर) जोड़ा। ट्विटर ऐसे खाताधारकों के खातों को निर्धारित समय के लिए निलंबित भी करता है।

स. बहरहाल व्हाट्स एप इस मामले में बहुत सक्रिय कदम नहीं उठाता है। वह उपभोक्ताओं से कहता है कि जरूरत पड़ने पर वे ऐसे संदेशों/सामग्री की रिपोर्ट करें।

द. फेसबुक भी अपेक्षा करता है कि वह फेसबुक मंच पर किसी सामग्री की खुद जांच नहीं करेगा और न ही सामग्री को रोकेगा। यदि कोई सामग्री निर्धारित मानकों का उल्लंघन करती है, तो उपभोक्ता उसकी रिपोर्ट फेसबुक की कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टीम से कर सकते हैं। जो इनकी जांच करेगी।

इ. अकसर होता यह है कि किसी फेसबुक-ट्विटर या ईमेल के जरिये अश्लील सन्देश-वीडियो के प्रसारित होने पर उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। जब बहुत अधिक दबाव पड़ता है तो इंटरनेट कंपनी उसे मंच से हटा भर देती है, लेकिन जिम्मेदारी व्यक्ति की पहचान और उसे सजा दिलाने की कोई कोशिश नहीं होती है। इससे ऑनलाइन अपराधियों के हौंसले बुलंद होते जाते हैं।

ई. ऐसे एप्स या तकनीक-व्यवस्थाएं विकसित होनी चाहिए, जिनका उपयोग करके गलत, अश्लील, हिंसाकारी सामग्री को रिपोर्ट किया जा सके, बच्चों-महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और संबंधितों पर उचित कार्यवाही की व्यवस्था बने।

साइबर अपराध और बच्चों के शोषण संबंधित कुछ प्रमुख कानून

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित बाल अधिकार समझौता और बच्चों का शोषण

बाल अधिकार समझौते का अनुच्छेद 34

इस अनुच्छेद के मुताबिक –

समझौते में शामिल देश यौन शोषण तथा यौन दुर्व्यवहार के सभी रूपों से बच्चों को बचाने का वचन देते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समझौते में शामिल देश निम्न बातों को रोकने के लिए सभी उपयुक्त राष्ट्रीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उपाय करेंगे –

(क) किसी बच्चे को किसी अवैध यौन कार्य के लिए फुसलाना या जोर-जबरदस्ती करना,

(ख) बच्चों का शोषण करते हुए उनसे वेश्यावृत्ति अथवा अन्य अवैध यौन कार्य कराना,

(ग) बच्चों का शोषण करते हुए नग्नातापूर्ण कार्यों और सामग्री में उनका इस्तेमाल करना,

सतत् विकास लक्ष्य

पूरी दुनिया से वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्य चुने और स्वीकार किए हैं। बहरहाल उनमें भी हम स्पष्ट रूप से यह नहीं देख पाते हैं कि बच्चों के इंटरनेट या सूचना तकनीक के सन्दर्भ में तेजी से बढ़ते शोषण पर कोई ठोस बिंदु कहा गया हो, जबकि इस पर स्थानीय और वैश्विक स्तर पर साझा पहल करने की बहुत जरूरत रही है। इसके बावजूद हम सतत् विकास लक्ष्यों की लंबी सूची में दर्ज कुछ बिंदुओं को इससे जुड़ा हुआ मान सकते हैं। मसलन –

लक्ष्य पांच – लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही सभी महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त करना।

नियत उद्देश्य – हर जगह पर सभी महिलाओं और बालिकाओं के साथ हर तरह का भेदभाव समाप्त करना।

नियत उद्देश्य – सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा, मानव-तस्करी, यौन तथा अन्य प्रकार के शोषणों को दूर करना।

लक्ष्य आठ – सभी के लिये निरंतर, समावेशी तथा सतत् आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार एवं बेहतर कार्य को बढ़ावा देना।

नियत उद्देश्य – बेगारी, आधुनिक गुलामी एवं मानव तस्करी को समाप्त करने के लिये तात्कालिक एवं प्रभावी उपाय करना। बाल-श्रम को उसके सभी रूपों में वर्ष 2025 तक पूरी तरह प्रतिबंधित और समाप्त करना, बच्चों की बाल-सैनिक भर्ती और उनके इस्तेमाल सहित।

लक्ष्य सोलह – सतत् विकास के लिये शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, सभी के लिये न्याय तक पहुंच उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी संस्थाएं बनाना।

नियत उद्देश्य – बच्चों के प्रति दुराचार, उनका शोषण, तस्करी, हिंसा और उत्पीड़न समाप्त करना।

भारत में कानूनी प्रावधान

भारत में सायबर अपराध को रोकने के लिए सामान्य तौर आई.टी. एक्ट यानी सायबर अपराध के मामलों में सूचना तकनीक कानून 2000 और सूचना तकनीक (संशोधन) कानून 2008 का उपयोग किया जाता है। सूचना तकनीक नियम 2011 के तहत भी कार्रवाई की जाती है। इस कानून में निर्दोष लोगों को साजिशों से बचाने के इंतजाम भी हैं। इसके साथ ही अलग-अलग अपराधों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), कॉपीराइट कानून 1957, कंपनी कानून, सरकारी गोपनीयता कानून, आतंकवाद निरोधक कानून सहित कई अन्य कानूनों की धाराओं का भी उपयोग किया जाता है। इसी तरह बच्चों के साथ हुए सायबर यौन अपराध के मामले में पॉक्सो भी लगाया जा सकता है।

बच्चों को साइबर अपराध से बचाने के लिए न्यायालयों में मामले भी चल रहे हैं। विधायिका भी इसके लिए चिंतित है। संसदीय समिति ने भी इस पर अपनी सिफारिशें दी है। हाल ही में भारत सरकार ने बच्चों की पोर्नोग्राफी पर अंकुश लगाने के लिए भारत में करीब 900 से ज्यादा वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया गया है। यानी इन्हें अब भारत में नहीं देखा जा सकता।

इस बात की जानकारी एक सवाल के जवाब में लोकसभा में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने दी। उन्होंने यह भी बताया कि गृह मंत्रालय जल्द ही महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम पर एक प्रोजेक्ट शुरु करने जा रहा है।

पोर्न साइट्स को ब्लॉक ना करने को लेकर जुलाई 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी।

साइबर अपराध को रोकने के लिए सूचना तकनीक कानून एवं अन्य कानूनों की निम्न धाराएं लगाई

जाती हैं–

आपत्तिजनक एवं अफवाहपूर्ण सामग्री

अगर कोई आदमी सोशल मीडिया या दूसरे ऑनलाइन माध्यम से किसी दूसरे आदमी या समूह की भावनाओं को भड़काता है, अफवाह फैलाता है या फिर किसी की छवि खराब करता है या छवि खराब करने के लिए झूठी जानकारी डालता है या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो उस पर सूचना तकनीक कानून की धारा 66ए के तहत केस दर्ज किया जाता है।

(सरकार ने सूचना तकनीक कानून की धारा 66ए के तहत होने वाली गिरफ्तारी के मामले में गाइड लाइंस जारी कर रखी है। इसके तहत प्रावधान है कि किसी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीनियर पुलिस अधिकारी की यानी ग्रामीण इलाके में डीएसपी स्तर पर और शहरी इलाकों में आईजी स्तर पर मंजूरी लेना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे मामले देखे गए हैं, जिसमें आलोचनाओं के कारण विरोधियों को दबाने के लिए इसका उपयोग किया गया। इस मामले में कोर्ट ने भी कहा है कि पूर्वाग्रह के कारण भी इस धारा का दुरूपयोग किया गया है। साइबर अपराध में सबसे ज्यादा इस धारा के तहत केस दर्ज किया जाता है।)

धारा 66ए के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल तक कैद की सजा और या जुर्माने का प्रावधान है। इस अपराध को जमानती अपराध माना गया है।

सूचना तकनीक कानून, 2008

इस अधिनियम के अनुसार बच्चा वह माना जाएगा जो कि 18 वर्ष से कम उम्र का हो। इस अधिनियम की दो धाराओं में विशेष रूप से बच्चों से जुड़े अपराध का जिक्र किया गया है।

धारा 67 (ठ) के अनुसार बच्चों से जुड़ी किसी भी यौन सामग्री (वीडिओ, ऑडियो या लिखित सन्देश) के प्रसारण या वितरण पर सम्बंधित व्यक्ति को 5 साल तक का कारावास तथा 10 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है और यही अपराध दोहराने पर 7 साल तक का कारावास तथा 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही नेट पर बच्चों के यौन संबंधों को दिखाने या जोड़ने पर भी इस धारा के अंतर्गत अपराध माना जाएगा।

परन्तु यह धारा केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम तक ही सीमित है। विज्ञान, साहित्य या सिखाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रकाशन इस धारा के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। धारा 77 (।) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के विरुद्ध किए गए किसी भी अपराध में समझौता करना वर्जित है और ही कोई भी न्यायालय इसमें समझौता नहीं करा सकती, ना ही ऐसा कोई आदेश पारित कर सकती है।

केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995

इसका मकसद है केबल टेलिविजन पर प्रसारित कार्यक्रमों का नियमन करना, जिससे बच्चों को संरक्षण

मिलता रहे। इसमें प्रावधान है कि केबल सेवा (टेलीविजन) पर ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं दिखाया जाना चाहिए, जिससे बच्चों का अपमान हो।

ऐसा कोई विज्ञापन केबल सेवा पर नहीं दिखाया जाना चाहिए, जिससे बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़े या उनमें अस्वस्थ तरीकों के बारे में दिलचस्पी पैदा हो या उन्हें भीख मांगने के लिए लिए मजबूर करे या उन्हें अमर्यादित या अभद्र रूप में दिखाए। इसमें पांच साल तक की सजा और जुर्माने या दोनों का प्रावधान है।

लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012

लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 यानी पोक्सो कानून बच्चों के इंटरनेट पर शोषण को रोकने और अपराधियों को सजा दिलाने की कोशिश में बहुत महत्वपूर्ण कानून है। यह कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि बच्चों का अश्लील प्रदर्शन भी उनके लैंगिक शोषण और अपराधों का ही हिस्सा है। इसके लिए दस साल तक की सजा का प्रावधान है।

पोक्सो कानून कहता है कि यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि कहीं बच्चों का इस तरह शोषण या अश्लील या लैंगिक प्रदर्शन के लिए उपयोग हो रहा है, तो यह उसकी कानूनी जिम्मेदारी है कि वह इसकी सूचना पुलिस को दे। ऐसा नहीं करने पर उसे भी सजा दिए जाने का प्रावधान है।

इस कानून के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं –

लैंगिक उत्पीड़न क्या है?

धारा 11. लैंगिक उत्पीड़न – किसी व्यक्ति द्वारा किसी बच्चे का लैंगिक उत्पीड़न माना जाएगा, जब ऐसा व्यक्ति –

1. लैंगिक आशय से कोई शब्द कहता है या ध्वनि या अंग विक्षेप करता है या कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग इस आशय के साथ प्रदर्शित करता है कि बच्चे द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु या शरीर का भाग देखा जाए, या
2. लैंगिक आशय से उस व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के जरिये किसी बच्चे को अपने शरीर या शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करने के लिए कहता है,
3. अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बच्चे को कोई वस्तु दिखाता है, या
4. बच्चे को या तो सीधे या इलेक्ट्रॉनिक, अंकीय या किसी अन्य साधनों के माध्यम से बार-बार या निरंतर पीछा करता है या देखता है या संपर्क बनाता है, या
5. बच्चे के शरीर के किसी भाग या बच्चे को लैंगिक कृत्य में अन्तर्वलित इलेक्ट्रॉनिक फिल्म या अंकीय या अन्य किसी रीति के माध्यम से वास्तविक या बनावटी तस्वीर खींचकर मीडिया का किसी भी रूप में उपयोग करने की धमकी देता है, या

6. अश्लील प्रयोजन के लिए किसी बच्चे को प्रलोभन देता है या उसके लिए परितोषण देता है।

अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बच्चों का उपयोग और उसके लिए दंड

अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बच्चों का उपयोग और उसके लिए दंड (पोक्सो कानून का अध्याय तीन)।

धारा 13. अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बच्चों का उपयोग – जो कोई भी, बच्चों का उपयोग मीडिया (जिसके अंतर्गत टेलीविजन चैनलों या विज्ञापन या इंटरनेट या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप या मुद्रित प्रारूप द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन, चाहे ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं) के किसी प्रारूप में लैंगिक प्रतितोषण, जिसके अंतर्गत –

(क) किसी बच्चे की जननेन्द्रियों का प्रदर्शन,

(ख) किसी बच्चे का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों (प्रवेशन के साथ या बिना) में करना,

(ग) किसी बच्चे का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन है,

वह किसी बच्चे का अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा।

[इस धारा के प्रयोजनों के लिए 'किसी बच्चे का उपयोग' पद के अंतर्गत मुद्रण, इलेक्ट्रॉनिक, कम्प्यूटर या अन्य तकनीक के किसी माध्यम से अश्लील साहित्य तैयार, उत्पादन, प्रस्तुति, प्रसारण और वितरण करने के लिए किसी बच्चे के अन्तर्वलित करना है।]

दंड – विभिन्न धाराओं में किये गए कृत्यों के लिए पांच साल से दस साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

धारा 15. बच्चे को अंतर्ग्रस्त (शामिल) करने वाले अश्लील साहित्य के भण्डारण (साहित्य रखने) के लिए दंड – यदि कोई व्यक्ति, जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बच्चे को शामिल करने वाली सामग्री का किसी भी रूप में भण्डारण करता है, वह भी तीन साल तक की सजा या जुर्माने या दोनों से दण्डित होगा।

धारा 20. मामले को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया, स्टूडियो या फोटो चित्रण सुविधाओं की बाध्यता – मीडिया या होटल या लाज या अस्पताल या क्लब या स्टूडियो या फोटो चित्रण सम्बन्धी सुविधाओं का कोई कर्मी (या उसका कोई जिम्मेदार व्यक्ति) उन लोगों को बिना बताए, जो बच्चे के अश्लील या लैंगिक उत्पीड़न के उपयोग में शामिल हैं, बच्चों के लैंगिक शोषण से सम्बंधित कृत्य (जिसमें अश्लील साहित्य, लिंग सम्बन्धी या बच्चे या बालक या बालिका का अश्लील प्रदर्शन करना भी है) के बारे में विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाएगा।

धारा 21. यदि कोई व्यक्ति या संस्थान ऐसे अपराध की रिपोर्ट नहीं करता है, तो उसे भी छः महीने से एक साल की सजा या जुर्माने या दोनों की सजा हो सकती है।

किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) अधिनियम में देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे के रूप में उन्हें भी शामिल किया गया है – 'जिनका लैंगिक दुर्व्यवहार या अवैध कार्यों के प्रयोजन के लिए दुर्व्यवहार, प्रपीड़न या शोषण किया गया है, किया जा रहा है या किये जाने की संभावना है;'

वास्तव में अधिनियम में बच्चों के यौन शोषण, उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के सन्दर्भ में इस परिभाषा को पूरा नहीं माना गया। इसे सर्वोच्च न्यायालय ने विस्तार दिया और इसमें यौन दुर्व्यवहार, यौन हिंसा–हमला और यौन उत्पीड़न को इसमें शामिल किया।

महाबलीपुरम (तमिलनाडु) के अनाथालयों में बच्चों के यौन शोषण से सम्बंधित ख़बर के प्रकाशन पर वर्ष 2007 में दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मई 2015 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में दी गयी 'देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों' परिभाषा को व्यापक नज़रिए से परिभाषित करने की जरूरत है। इस परिभाषा में 'यौन दुर्व्यवहार और बच्चों के व्यापार (ट्रैफिकिंग)' को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। इस परिभाषा की व्यापक व्याख्या की जरूरत है। यह अन्यायपूर्ण होगा, यदि इसमें देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों की कुछ श्रेणियों को शामिल नहीं किया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी जाना कि लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट, 2012) में यह परिभाषा की नहीं है कि 'देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे' कौन हैं?

सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी विशेषज्ञ मददगार वकील (एमिकस क्युरी) अपर्णा भट्ट से सहमति जताई कि यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार और यौन शोषण से पीड़ितों के साथ–साथ बच्चों के व्यापार से पीड़ित होने वाले बच्चों को पोक्सो क़ानून के दायरे में होने के साथ ही किशोर न्याय अधिनियम के तहत भी परिभाषित किया जाना चाहिए।

चाइल्ड लाइन (फोन नंबर 1098)

चाइल्ड लाइन भारत के सभी बच्चों के संरक्षण के मकसद से संचालित होने वाली टेलीफोन आधारित मुफ्त सहायता सेवा है।

इसका उपयोग टोल फ्री नंबर 1098 का उपयोग करके लिया जा सकता है।

इसमें कोशिश होती है कि सूचना मिलने पर जरूरतमंद बच्चे तक एक घंटे में सहायता पहुंचा दी जाए।

चाइल्ड लाइन पुलिस, अस्पताल और बाल संरक्षण इकाई के साथ समन्वय स्थापित करके काम करती है।

बच्चों के शोषण के मामलों में भी इस सेवा के बहुत सक्रिय भूमिका है।

इंटरनेट की सामान्य शब्दावली

ईमेल – वेबसाइट के माध्यम से भेजे जाने या प्राप्त किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पत्र को ईमेल कहते हैं।

अटैचमेंट – यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी प्रकार की फाइल को ईमेल के साथ जोड़कर इंटरनेट के माध्यम से किसी को भी भेजी या हासिल की जा सकती है।

ऑटो कम्प्लीट – यह सुविधा वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में होती है। इसके शुरू में कुछ अक्षर टाइप करते ही यूआरएल पूरा हो जाता है। इसके लिए जरूरी है कि वह यूआरएल पहले प्रयोग किया गया हो।

एंटी वायरस – इसके माध्यम से कम्प्यूटर की मेमोरी या संगणक संचिका में छुपे हुए वायरस को ढूंढ निकालने या संभव हो तो, नष्ट करने की क्षमता होती है।

बैंडविड्थ – इसके द्वारा इंटरनेट की स्पीड नापी जाती है। बैंडविड्थ जितनी अधिक होगी, इंटरनेट की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी।

ब्राउज़र – वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना प्राप्त करने में मददगार सॉफ्टवेयर को ब्राउज़र कहते है। क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्वाधिक प्रचलित ब्राउज़र है।

डाउनलोड-अपलोड – किसी सामग्री को वर्ल्ड वाइड वेब से कॉपी करने की प्रक्रिया डाउनलोड कहते हैं और किसी सामग्री को वहां डालने की प्रक्रिया को अपलोड कहते हैं।

होम पेज – वेब ब्राउसर से किसी वेबसाइट को ओपन करते ही जो पृष्ठ सामने खुलता है, वह उसका होम पेज कहलाता है।

व्यावहारिक कार्य

मुख्य बिंदु	कार्यवाही क्या हो?
इंटरनेट के उपयोग पर स्कूलों, बच्चों के समूहों और परिवार में चर्चा	यह बहुत जरूरी है कि इंटरनेट के सही और सकारात्मक उपयोग के लिए स्कूलों, बच्चों के समूहों और परिवार में चर्चा हो। यह सही है कि कई बुरे अनुभवों के बावजूद इंटरनेट के उपयोग को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, ऐसे में जरूरी है कि इसके जिम्मेदार उपयोग पर परिवार, समाज और कानूनी मंचों पर साझा पहल हो। इस विषय पर संवाद और बहस से बचने की कोशिश नहीं होना चाहिए।
व्यवहार पर नजर और सही समय पर कार्यवाही	अगर हम (परिजन, बच्चों के दोस्त और शिक्षक) बच्चों के इंटरनेट सम्बन्धी व्यवहार पर सजग दृष्टि रखेंगे तो हमें सही समय पर यह पता चलता रहेगा कि कहीं इंटरनेट के जरिये बच्चों का शोषण तो नहीं हो रहा है या कहीं हमारे बच्चे भी तो शोषण करने वालों में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसके लिए कानून, स्कूल और सामाजिक संस्थाओं के स्तर पर परामर्श केन्द्रों की भी स्थापना होना चाहिए।
कानून और नियमों से सम्बंधित शिक्षण-प्रशिक्षण	इंटरनेट और टीवी प्रसारण पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कानून हैं - जैसे सूचना तकनीक कानून, 2000, केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम। इसके साथ ही भारत सरकार के दिशा निर्देश भी हैं। हमें यह ध्यान रखना होगा कि बच्चों के संरक्षण के अधिकार को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और पोक्सो अधिनियम, 2012 के सन्दर्भ में देखना-समझना होगा।

मुख्य बिंदु	कार्यवाही क्या हो?
सामुदायिक प्रशिक्षण सत्र	समुदाय के बीच इंटरनेट या सूचना तकनीक के सही उपयोग के बारे में संवाद करना। समुदाय में यह चर्चा हो कि इंटरनेट पर गलत सामग्री भी उपलब्ध है, हमें उसके उपयोग को खत्म करना है। साथ ही यह भी बताया जाए कि यदि हम बच्चों से संबंधित गलत सामग्री इंटरनेट पर देखते हैं, तो उसकी रिपोर्ट भी की जा सकती है। हमें पहल करना चाहिए। इस तरह के सत्र स्कूलों में भी आयोजित हों।
अवलोकन करना – नजर रखना	हमारे क्षेत्र में इंटरनेट–सूचना तकनीक का गलत उपयोग तो नहीं होता है? क्या क्षेत्र में या आसपास के इलाकों में इंटरनेट के कारण शोषण तो नहीं हो रहा है?
छिपाना नहीं, कार्यवाही करना	यदि हम देखें या पायें कि कहीं बच्चों का गलत रूप में प्रस्तुतीकरण हो रहा है, अश्लील प्रस्तुति हो रही है या यौन सामग्री–चित्रण में उनका उपयोग हो रहा है, तो इसकी रिपोर्ट जरूर करवाई जाए।
डिजिटलीकरण (डिजिटलाइजेशन)	डिजिटलीकरण (डिजिटलाइजेशन) की नीति के सन्दर्भ में हर स्तर पर बच्चों–महिलाओं की सुरक्षा और तकनीक के जिम्मेदार इस्तेमाल के उपयोग से जुड़े पहलुओं को उठाते रहना।

ISBN 9789381408391

9 789381 408391

CRY
CHILD RIGHTS AND YOU

VIKAS SAMVAD